मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

| वर्ष : 26 | अंक : 5 | जनवरी 2026 |

अरावली का संकट टला

पर बड़ा सवाल... कब तक रह पाएगा महफ़ूज़?

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 26 अंक 05 जनवरी 2026**

(पृष्ठ क्र.-6)

■ लोकतंत्र के शुद्धिकरण में आवश्यक 26
■ मनरेगा का नाम परिवर्तन सुनियोजित षडयंत्र 44
■ नक्सली आतंक से पूर्ण मुक्ति की ओर लाल गलियारा 48
■ अनदेखी की परतों में पलता प्रदूषण 52
■ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बना आदर्श मॉडल 54
■ धामी की कुशल रणनीति से शीतकालीन तीर्थटन, पर्यटन एवं राजस्व की उत्तम दिशा दे रही है देवभूमि उत्तराखण्ड 60
■ Dasain festival: A dance performance topreserve a collective memory of grief is on the wane 62

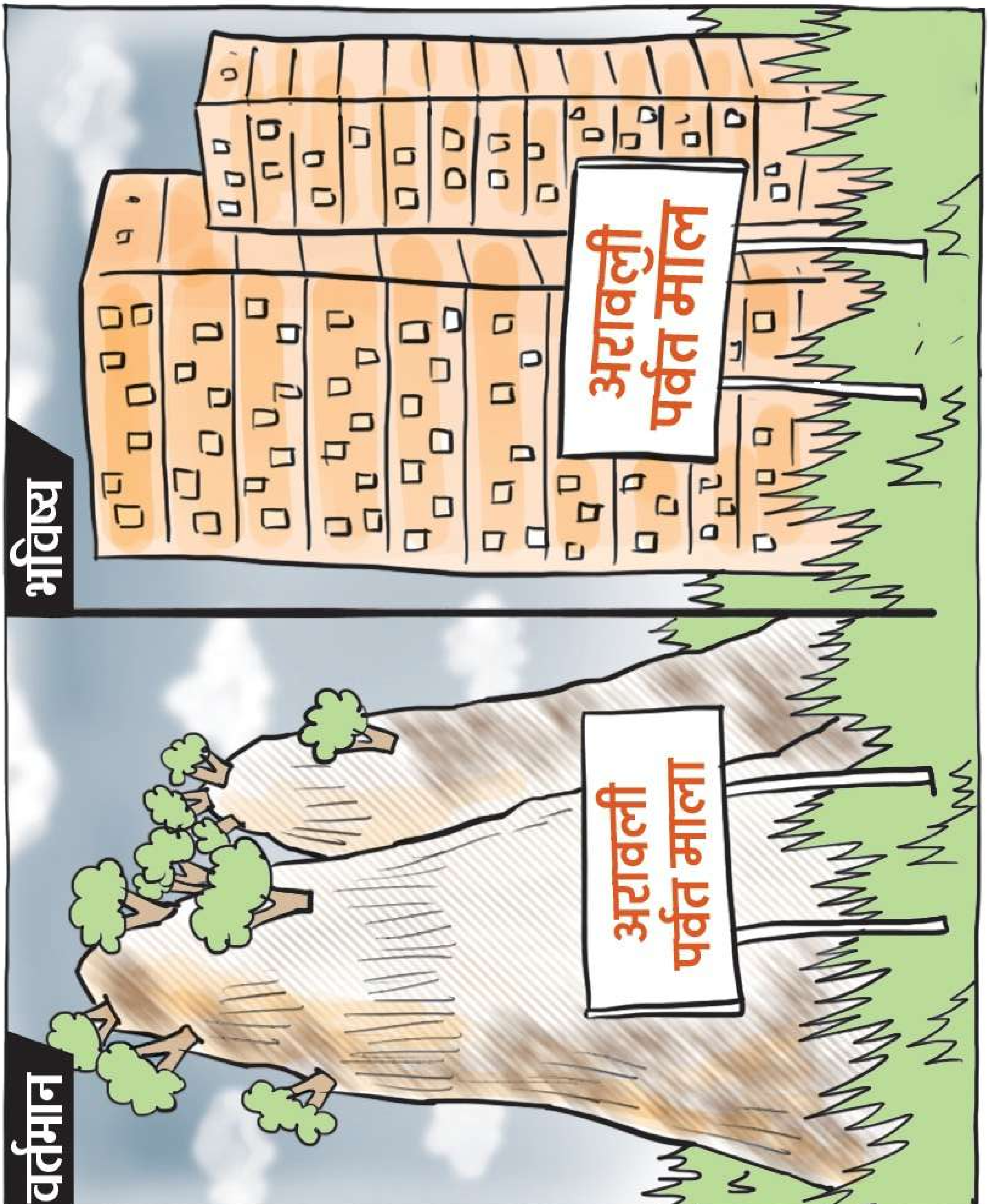
वर्तमान
अरावली पर्वत माला
भविष्य
अरावली पर्वत मॉल

विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक पेड़ माँ के नाम पर देश में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं और पर्यावरण को बचाने की अपील कर रहे हैं वहीं मध्यप्रदेश भी इस अभियान में अपनी पूरी सहभागिता कर रहा है। लेकिन लगता है यह अभियान केवल सरकारी बन कर रह गया है। क्योंकि पेड़ों का कटना निरंतर जारी है और हरियाली उजाड़ने का सिललिला चल रहा है। मध्यप्रदेश को लंबे समय से हरित राज्य और भारत का फेफड़ा कहा जाता रहा है। घने वन, विस्तृत वन्यजीव क्षेत्र और प्राकृतिक विविधता इसकी पहचान रहे हैं। राजधानी भोपाल तो झीलों के साथ-साथ हरियाली के लिए भी देश भर में प्रसिद्ध रही है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में, विशेषकर हाल के समय में, भोपाल और प्रदेश के अनेक हिस्सों में जिस तेज़ी से पेड़ों की कटाई हो रही है, उसने इस पहचान को गहरे संकट में डाल दिया है। यह स्थिति केवल पर्यावरणीय चिंता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुकी है। सरकारें अक्सर पेड़ों की कटाई को विकास से जोड़कर सही ठहराने की कोशिश करती हैं। सड़क चौड़ीकरण, मेट्रो प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर, स्मार्ट सिटी योजनाएँ, आवासीय कॉलोनियाँ और औद्योगिक विस्तार इन सभी के नाम पर हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं। भोपाल में ही देखें तो केरवा, कलियासोत, लिंक रोड, बड़े पार्कों के आसपास और नए आवासीय क्षेत्रों में लगातार हरियाली कम होती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या विकास का कोई ऐसा मॉडल नहीं हो सकता जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चले? मध्यप्रदेश में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और विभिन्न वन नियम मौजूद हैं। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट से पहले अनुमति, मुआवज़ा वृक्षारोपण और सार्वजनिक सुनवाई का प्रावधान भी है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि कई बार अनुमतियाँ जल्दबाज़ी में दी जाती हैं और जनसुनवाई महज़ औपचारिकता बनकर रह जाती है। वृक्षारोपण के नाम पर आंकड़े तो प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, पर लगाए गए पौधों की देखरेख और उनके जीवित रहने की जिम्मेदारी तय नहीं होती। भोपाल कभी ग्रीन सिटी का उदाहरण माना जाता था। बड़े-बड़े पेड़, खुली ज़मीन और जैव विविधता इसकी पहचान थी। आज स्थिति यह है कि शहर के विस्तार के साथ-साथ पेड़ों का दायरा सिमटता जा रहा है। सड़क परियोजनाओं में पुराने और छायादार पेड़ों को हटाकर छोटे पौधे लगा देने को पर्यावरण संतुलन का विकल्प मान लिया गया है, जबकि एक परिपक्व पेड़ का पर्यावरणीय योगदान किसी नए पौधे से तुलना योग्य ही नहीं है। भोपाल और मध्यप्रदेश में कटते पेड़ केवल लकड़ी नहीं, बल्कि जीवन, संतुलन और भविष्य का नुकसान हैं। विकास यदि प्रकृति को खत्म करके होगा तो वह टिकाउ नहीं हो सकता। आज आवश्यकता है कि सरकार, प्रशासन और नागरिक तीनों मिलकर यह तय करें कि विकास और पर्यावरण विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री बनें। वरना आने वाले समय में यह हरियाली केवल तस्वीरों और यादों में ही रह जाएगी।

विजया पाठक

अरावली का संकट टला

पर बड़ा सवाल... कब तक रह पाएगा महफ़ूज़?

पूरे देश में अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर बवाल मचा हुआ था। अरावली पर्वत को बचाने का चौतरफा दबाव बनाया जा रहा था। राजनेता, पर्यावरणविद और आमजन मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और पर्वत माला को बचाने की मुहिम चलाये हुए थे। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली आज सबसे बड़े संकट में थी। अरावली पर्वत को लेकर इस समय काफी बवाल मचा हुआ था। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग इसको बचाने की मुहिम चला रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटते हुए पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक अरावली क्षेत्र में खनन के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र और संबंधित राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को नोटिस जारी करके अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 तय की गई है। असल में अरावली हिल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने सरकारी समिति की सिफारिश पर अरावली पहाड़ियों की उंचाई 100 मीटर तय की गई थी। कोर्ट ने माना कि ऐसी आशंका है कि 100 मीटर की उंचाई और 500 मीटर की दूरी का पैमाना पर्यावरण की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। कोर्ट जानना चाहता है कि क्या इससे राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही सुरक्षित रह जाएंगी, जैसा कि दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े एक अहम पर्यावरण मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया था और जब इसको लेकर लोगों ने विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की और अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया। असल में अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है और यह लगभग 700 किलोमीटर लंबी है और दिल्ली-एनसीआर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक फैली हुई है। यह पहाड़ियां इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पानी की सुरक्षा और रेगिस्तान को रोकने में अहम माना जाता है। यह मामला मुख्य तौर पर यह है कि अरावली की परिभाषा कैसे की जाएगी यानी किन भू-भागों को अरावली माना जाए ताकि वहां खनन और निर्माण पर क़ानूनी सुरक्षा जारी रहे। खनन, अवैध निर्माण और अंधाधुंध विकास ने अरावली को गहरे जख्म दिए हैं। विकास के नाम पर उत्तर भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार को कमजोर किया जा रहा है। इस विवाद के केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा सुझाई गई वह परिभाषा है जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है, जिसके तहत केवल 100 मीटर से अधिक उंचाई वाली पहाड़ियोंको ही अरावली माना जाएगा। विपक्ष और पर्यावरणविदों का आरोप था कि इस परिभाषा के कारण राजस्थान की लगभग 90 प्रतिशत अरावली पहाड़ियां कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन माफियाओं और रियल एस्टेट लॉबी के लिए रास्ते खुल जाएंगे। अगर अरावली की छोटी पहाड़ियां खत्म हुई, तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पर इसका पानी, खेती और मौसम पर क्या असर पड़ेगा? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को लेकर वर्तमान में चल रहा सियासी घमासान मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अरावली की नई परिभाषा को लेकर था। भू-वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं का मानना था कि यदि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियोंपर खनन की छूट मिली, तो थार मरुस्थल का विस्तार हरियाणा और दिल्ली की ओर तेजी से होगा। अरावली राजस्थान के लिए एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है जो धूल भरी आंधियों को रोकती है और भूजल स्तर को बनाए रखती है। वहीं प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने में अहम भूमिका निभाती है। आरोप लगाये जा रहे हैं कि मोदी सरकार अडानी जैसे उदयोगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अरावली का सौदा कर रहे हैं। यह भी सच है कि अरावली कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है यह राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैली है और इसको नुकसान पहुंचा कर पूरे देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अंततः भारी विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटना पड़ा और फिलहाल यह पहाड़ी खनन होने से बच गई है। अंत में सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आयी कि हमें अरावली पर्वत श्रृंखला का सौदा करना पड़ा। क्या भविष्य में इस पर्वत पर संकट के बादल फिर नहीं मंडरायेंगे?

विजया पाठक

ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से जानी जाने वाली यह पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले ने इसकी कानूनी व्याख्या को लेकर बहस छेड़ दी थी। पुराने फैसले के अनुसार केवल 100 मीटर से अधिक उंची पहाड़ियों को ही अरावली के अंतर्गत माना जाएगा। इसका अर्थ यह था कि पहले जो छोटी पहाडियों और जंगल इस श्रेणी में आते थे, वे अब इससे बाहर हो सकते थे। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि जमीन का वर्गीकरण केवल उंचाई के आधार पर नहीं, बल्कि रिकार्ड, अधिसूचना और जमीनी स्थिति को देखकर तय किया जाएगा। अरावली को 100 मीटर के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। यह सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी लाइफलाइन ही है। पूरे अरावली क्षेत्र को क्रिटिकल इकोलॉजिकल ज़ोन घोषित करना होगा। सवाल अब सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि उत्तर भारत भविष्य में हरा रहेगा या रेगिस्तान का रूप ले लेगा। अरावली बचेगी, तो पानी, हवा और जीवन बचेगा, वरना यह फैसला इतिहास में एक ऐसे डेथ वारंट के तौर पर दर्ज होगा, जिसने सब कुछ बदल दिया। अरावली पर्वतमाला का भविष्य निरंतर हो रहे पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई पर निर्भर करता है। 2059 तक 22ऽ हानि और खनन एवं शहरीकरण के विस्तार के अनुमानों के साथ, कानूनी उपायों को सख्ती से लागू करना और अरावली ग्रीन वॉल जैसी बड़े पैमाने पर बहाली परियोजनाओं में निवेश करना महत्वपूर्ण है। नवीन संरक्षण मॉडल लागू करके और न्यायिक निर्णयों का पालन करके, हम इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिक अवरोध की रक्षा कर सकते हैं, जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिकूल जलवायु प्रभावों को कम कर सकते हैं। देश में पिछले कुछ सालों में तेजी से खनन के जरिए पहाड़ों

> **अरावली को 100 मीटर के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। यह सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी लाइफलाइन ही है। पूरे अरावली क्षेत्र को क्रिटिकल इकोलॉजिकल ज़ोन घोषित करना होगा। सवाल अब सिर्फ कानून का नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि उत्तर भारत भविष्य में हरा रहेगा या रेगिस्तान का रूप ले लेगा।**

20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। खनन गतिविधियों को पर आए इस फैसले में 100 मीटर तक उंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति दे दी गई थी। ये फैसला राजस्थान और अरावली पर्वत के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा माना जा रहा था कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा। अरावली को राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन यह लाइफ लाइन अब खतरे में थी।

को खत्म करने का सिलसिला तो चल ही रहा है। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही आए फैसले ने इस मामले को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला दिया था। दरअसल, 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। खनन गतिविधियों को पर आए इस फैसले में 100 मीटर तक उंचाई वाले पहाड़ों पर खनन की अनुमति दे दी गई थी। ये फैसला राजस्थान और अरावली पर्वत के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ऐसा माना जा रहा था कि इस फैसले के लागू होते ही प्रदेश में रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ जाएगा। अरावली को राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन यह लाइफ लाइन अब खतरे में थी। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद राजस्थान के लिए यह चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने नीलगिरी पर्वत को लेकर दिए अपने निर्णय में माना है कि अरावली पर्वत का क्षेत्र अब सिकुड़ता जा रहा है। अरावली

> **अरावली न केवल प्राकृतिक रूप से 692 किलोमीटर के हिस्से की रक्षा करती है, बल्कि रेगिस्तान के विस्तार के आगे ढाल बनकर खड़ी है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली कई नदियों का उद्गम स्थल है तो गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों से मैदानी इलाकों की रक्षा करती आ रही है।**

का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा 100 मीटर से भी कम की उंचाई का रह गया है। ऐसी स्थिति में 100 मीटर से नीचे के भू-भाग को अब अरावली को पहाड़ी नहीं माना जाएगा।

अरावली को बचाने की मुहिम

करोड़ों साल से प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में सीना ताने खड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला मानव जीवन के लिए अनुपम वरदान है। अरावली न केवल प्राकृतिक रूप से 692 किलोमीटर के हिस्से की रक्षा करती है, बल्कि रेगिस्तान के विस्तार के आगे ढाल बनकर खड़ी है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल अरावली कई नदियों का उद्गम स्थल है तो गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों से मैदानी इलाकों की रक्षा करती आ रही है। जैव विविधिता से लेकर प्राकृतिक संरक्षक के रूप में मानव जीवन को संभाल रही अरावली के

अस्तित्व पर आज संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस पहाड़ी को बचाने और संरक्षित करने की मुहिम लिए सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मुहिम शुरू हो चुकी थी। अरावली पर्वत श्रृंखला का मुद्दा सिर्फ पहाड़ों की परिभाषा या खनन की अनुमति का नहीं है, बल्कि यह बहस पर्यावरण, जलवायु, जल स्रोत, जैव विविधता और करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है। अरावली क्षेत्र में खनन की संभावनाओं पर चर्चा ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कुल 39 जिलों को प्रभावित करती है। अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उत्तर-पश्चिम भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह थार मरुस्थल को आगे बढ़ने

अरावली क्षेत्र में खनन की संभावनाओं पर चर्चा ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों और राजनीतिक दलों को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कुल 39 जिलों को प्रभावित करती है। अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह उत्तर-पश्चिम भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है।

पर्यावरणविदों का मानना था कि अगर अरावली को केवल उंचाई या चौड़ाई के आधार पर परिभाषित किया गया तो बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र खनन के लिए खोल दिए जाएंगे। जलवायु पर बुरा असर पड़ता या आने वाला समय बहुत भयंकर होता। राजस्थान वैसे भी गर्मी के दिनों में इतना तापमान बढ़ता है कि लोग इस तापमान के कारण मर जाते हैं। फिर भी सरकार उद्योगपतियों को करोड़पति करने के लिए ऐसे फैसला लेती हैं।

से रोकती है, गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों को मैदानी इलाकों तक पहुंचने से रोकती है और भू-जल रिचार्ज में अहम भूमिका निभाती है। अरावली की नई परिभाषा ने उंचाई आधारित मानक और खनन को लेकर उठे सवालों ने चिंता बढ़ा दी थी। पर्यावरणविदों का मानना था कि अगर अरावली को केवल उंचाई या चौड़ाई के आधार पर परिभाषित किया गया तो बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र खनन के लिए खोल दिए जाएंगे। जलवायु पर बुरा असर पड़ता या आने वाला समय बहुत भयंकर होता। राजस्थान वैसे भी गर्मी के दिनों में इतना तापमान बढ़ता है कि लोग इस तापमान के कारण मर जाते हैं। फिर भी सरकार उद्योगपतियों को करोड़पति करने के लिए ऐसे फैसला लेती हैं। उन एयर कंडीशन में बैठने वाले लोगों को क्या पता कि प्रदेश में गर्मी कितनी है। पर्यावरण व प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखना सरकार और हमारी न्यायिक व्यवस्था का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए लेकिन दोनों ही इनको नष्ट करने में लगे हुए हैं जिससे कुछ चंद उद्योगपतियों को आर्थिक फायदा पंहुच सके।

राजस्थान में अरावली की स्थिति

देश के चार राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल

अरावली पर्वतमाला के संबंध में अध्ययन में किन प्रमुख चुनौतियों को उजागर किया गया है?

- **पहाड़ियों का क्षरण:** 1975 और 2019 के बीच, अरावली पहाड़ियोंका लगभग 8 प्रतिशत (5,772.7 वर्ग किमी) हिस्सा गायब हो गया है, जिसमें से 5 प्रतिशत (3,676 वर्ग किमी) बंजर भूमि में और 1 प्रतिशत (776.8 वर्ग किमी) बस्तियों में परिवर्तित हो गया है।
- पहाड़ियों के विनाश ने थार रेगिस्तान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर विस्तार करने में सक्षम बनाया है, जिससे मरु स्थलीकरण में वृद्धि, प्रदूषण में वृद्धि और अनियमित मौसम की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- **खनन क्षेत्र में वृद्धि:** 1975 में 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 2.2 प्रतिशत हो गई।
- तेजी से हो रहा शहरीकरण और अनियंत्रित खनन अरावली पहाड़ियोंके निरंतर बिगड़ते हालात के प्रमुख कारण हैं।
- अरावली पर्वतमाला का 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सा और राजस्थान की 31 पर्वत श्रृंखलाएं अवैध खनन के कारण गायब हो चुकी हैं।
- एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में खनन का योगदान है, विशेष रूप से श्वसनीय कण पदार्थ (आरपीएम) के माध्यम से।
- **मानव बस्तियों में वृद्धि:** 1975 में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 13.3 प्रतिशत हो गई।
- **वन आवरण:** मध्य पर्वतमाला में 1975-2019 के बीच वन आवरण में 32 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि कृषि योग्य भूमि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- 1999 से 2019 के दौरान, वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के 0.9 प्रतिशत तक कम हो गया।
- अध्ययन अवधि के दौरान औसत वार्षिक वनों की कटाई दर 0.57 प्रतिशत थी।
- **जल निकायों पर प्रभाव:** जल निकायों का क्षेत्रफल 1975 में 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 1989 में 1.9 प्रतिशत हो गया था, लेकिन तब से इसमें लगातार गिरावट आई है।
- अत्यधिक गहराई तक खनन करने से जल भंडार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित हो गया है, झीलें सूख गई हैं और अवैध खनिकों द्वारा छोड़े गए गड्ढों के कारण नए जल निकाय बन गए हैं।
- **अरावली में संरक्षित क्षेत्रों का प्रभाव:** मध्य अरावली पर्वतमाला में स्थित तोडगढ़-राओली और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्यों ने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप वनों का क्षरण न्यूनतम हुआ है।
- **उन्नत वनस्पति सूचकांक (ईवीआई):** उपरी मध्य अरावली क्षेत्र (नागौर जिला) में ईवीआई का न्यूनतम मान 0 से -0.2 तक है- जो अस्वस्थ वनस्पति का संकेत देता है।
- **भविष्य के अनुमान:** 2059 तक, अरावली क्षेत्र का कुल नुकसान 22 प्रतिशत (16,360 वर्ग किमी) तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से 3.5 प्रतिशत (2,628.6 वर्ग किमी) क्षेत्र का उपयोग खनन के लिए किया जाएगा।
- अरावली पर्वतमाला के सामने आने वाली अन्य प्रमुख चुनौतियाँः तेंदुए, धारीदार लकड़बग्घे, सुनहरे सियार और अन्य प्रजातियों सहित वनस्पतियों और जीवों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली कई नदियाँ, जैसे बनास, लूणी, साहिबी और सखी, अब सूख चुकी हैं।
- अरावली पर्वतमाला के किनारे प्राकृतिक वनों के नष्ट होने से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ गया है।

का करीब 12.65 प्रतिशत है। राजस्थान में यह गुजरात सीमा के खेड़ ब्रह्मा से लेकर उत्तर में खेतड़ी तक जाती है। चार राज्यों में उत्तर में दिल्ली से प्रारम्भ होकर गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर तक की लंबाई में यह पर्वत श्रृंखला है।

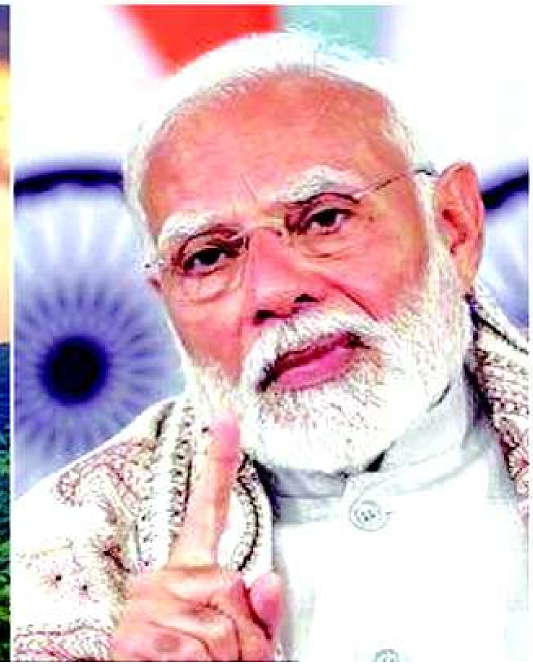

फिलहाल अरावली पर्वत पर आफत टली

राजस्थान का लगभग 13 फीसदी हिस्सा यह पर्वतमाला कवर करती है। राज्य के सात जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में इसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक प्राचीन श्रृंखला है, जो गुजरात के कच्छ से शुरूहोकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह दो अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है और आज भी कई राज्यों के लिए जीवनरेखा बनी हुई है।

क्या अरावली में वन्य जीव भी रहते हैं?

अरावली जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है। यहां भेड़िया, बंगाल लोमड़ी, कैराकल, धारीदार लकड़बग्घा, सियार सहित कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं।

ये पहाड़ियां न केवल इन जीवों का प्राकृतिक आवास हैं, बल्कि भूजल संरक्षण, वायु शुद्धिकरण और स्थानीय जलवायु संतुलन में भी अहम भूमिका निभाती हैं।

दिल्ली-NCR के लिए अरावली क्यों जरूरी है?

अरावली पर्वतमाला पर सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय और कानूनी अधिसूचनाएँ हैं?

- **2018 का फैसला:** हरियाणा के अरावली पर्वतमाला में अवैध निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया, कांत एन्क्लेव को ध्वस्त करने और निवेशकों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।
- **2009 का आदेश:** अरावली पर्वतमाला में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- **2002 का आदेश:** बड़े पैमाने पर भू-क्षरण के कारण हरियाणा में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- **1996 का फैसला:** इसमें यह अनिवार्य किया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की अनुमति के बिना बडखल झील के 2-5 किलोमीटर के दायरे में खनन पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।
- **एहतियाती सिद्धांत (1996):** सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सरकारों को वैज्ञानिक साक्ष्य की प्रतीक्षा किए बिना पर्यावरणीय गिरावट का पूर्वानुमान लगाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए (वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ)।
- **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (2010):** एनजीटी अधिनियम की धारा 20 के तहत पर्यावरणीय निर्णयों के लिए एहतियाती सिद्धांत को अपनाया।
- **MoEFCC अधिसूचना (1992):** MoEFCC से पूर्व अनुमति के बिना अरावली पर्वतमाला में नए उद्योगों, खनन, वनों की कटाई और निर्माण पर प्रतिबंध।
- **सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय:** क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन।
- अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए गुरुग्राम में सात सदस्यीय अरावली पुनर्जीवन बोर्ड की स्थापना की गई है।

अरावली भूजल रिचार्ज की प्राकृतिक प्रणाली की तरह काम करती है। शोध के अनुसार, यह हर साल प्रति हेक्टेयर लगभग 20 लाख लीटर भूजल रिचार्ज करने में मदद करती है। इसके अलावा यह थार रेगिस्तान को दिल्ली की ओर बढ़ने से

रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है। यदि अरावली कमजोर होती है, तो दिल्ली-ग़क्ङ में पानी की कमी बढ़ेगी, कुएं-तालाब सूखेंगे और वायु प्रदूषण व गर्मी का स्तर और बढ़ जाएगा। यह क्षेत्र का प्राकृतिक डस्ट बैरियर और कूलिंग सिस्टम भी है, जिसके बिना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट और गंभीर हो सकता है। अगर अरावली को नुकसान पहुंचा तो दिल्ली-ग़क्ङ का भूजल संकट बेहद गंभीर हो जाएगा। गुरु ग्राम, फरीदाबाद और दक्षिण दिल्ली पहले से ही अत्यधिक दोहन झेल रहे हैं। अरावली के खत्म होने से यमुना और अन्य जल स्रोतों पर दबाव और बढ़ेगा।

दिल्ली का कितना हिस्सा अरावली पर स्थित है?

दिल्ली का लगभग 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्र अरावली की चट्टानों पर बसा है। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महरौली, साकेत, वसंत कुंज और द्वारका के कुछ हिस्से इसी पर्वतमाला का हिस्सा हैं। NCR में गुरूग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और दक्षिण सोनीपत के इलाके भी अरावली से जुड़े हैं। नई परिभाषा को लेकर गुरु ग्राम, राजस्थान और उदयपुर में विरोध देखने को मिला है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना था कि

दिल्ली का लगभग 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्र अरावली की चट्टानों पर बसा है। दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के महरौली, साकेत, वसंत कुंज और द्वारका के कुछ हिस्से इसी पर्वतमाला का हिस्सा हैं। NCR में गुरूग्राम, फरीदाबाद, मानेसर और दक्षिण सोनीपत के इलाके भी अरावली से जुड़े हैं।

खनन माफियाओं से अरावली पर्वत माला को भारी क्षति का अनुमान है। क्योंकि धीरे-धीरे करके खनन माफिया इन धरोहर को नष्ट ही कर देंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलकर इस पर्वत को बचा लिया है।

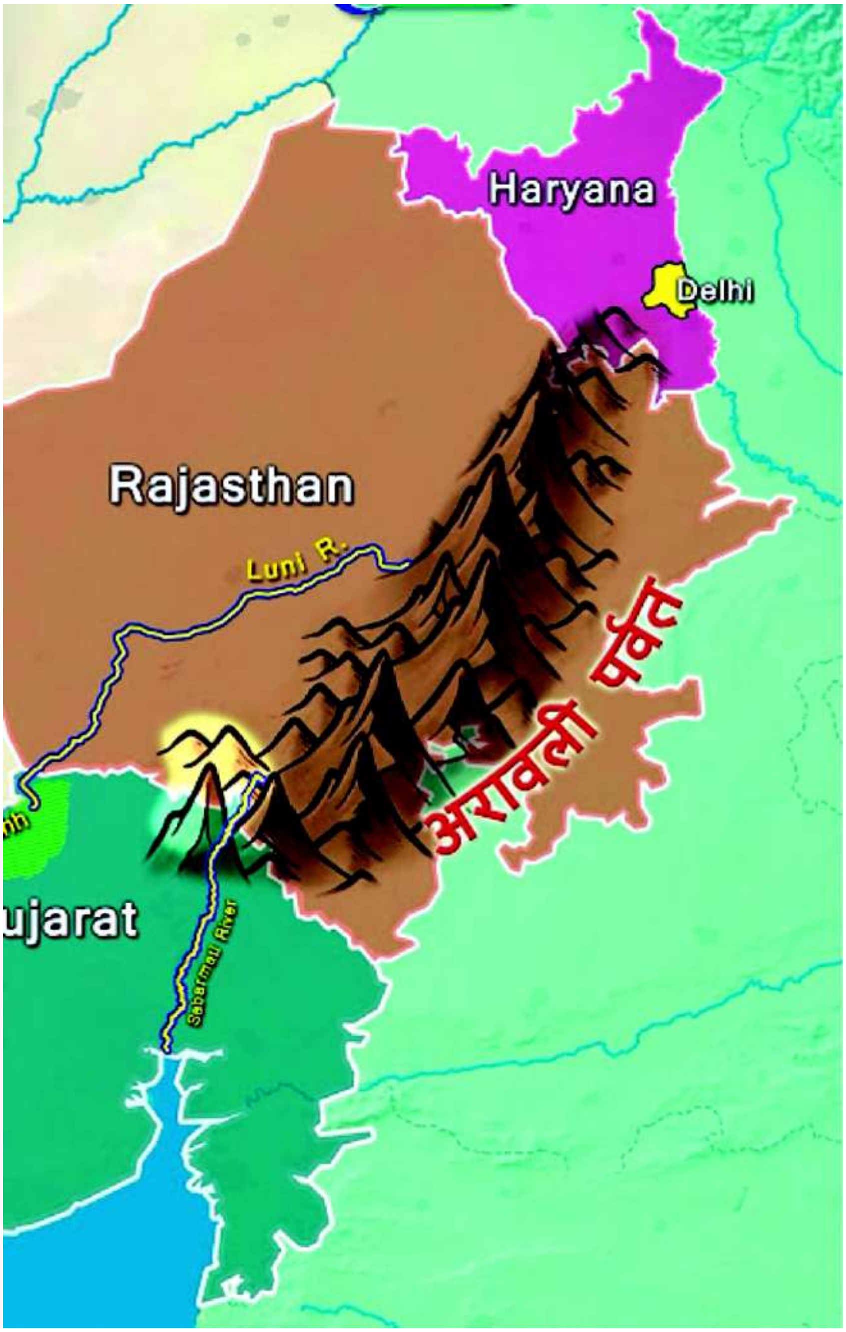

राजस्थान की पहचान है अरावली पर्वतमाला

अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफ लाइन और पहचान है। अरावली पर्वतमाला के बारे में बताया जाता है कि यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है। इसका 80 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसका हिस्सा 550 किलोमीटर है। इसमें अरावली पर्वतमाला की सबसे उंची चोटी राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंब आबू की (गुरु शिखर) में है। यहां इसकी उंचाई 1727 मीटर है। अरावली पर्वतमाला तीन राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिकांश नदियां अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। ऐसी स्थिति में अरावली पर्वतमाला राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी।

यह बेहद प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसमें किया गया कोई भी बदलाव भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

क्या राजस्थान में बढ़ जाएगा रेगिस्तान का हिस्सा?

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से अरावली पर्वत माला को लेकर लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि अरावली पहाड़ियां अब सिर्फ भू-भाग बन गई है। अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा 100 मीटर से भी कम हो गया है, ऐसी स्थिति में इन्हें हिस्सों में खनन के रास्ते खुल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि इन क्षेत्रों में खनन शुरू होगा, तो प्रदेश में

राजस्थान में अरावली

- ✦ अरावली का 550 किमी हिस्सा राजस्थान में
- ✦ राजस्थान में यह गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से उत्तर में खेतड़ी तक है.
- ✦ राजस्थान का 13 फीसदी हिस्सा अरावली कवर करती है.
- ✦ सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में विस्तार है.
- ✦ अरावली प्रदेश को दो भौगोलिकहिस्सों में बांटती है
- ✦ पहला पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र
- ✦ दूसरा पूर्वी उपजाऊ मैदान
- ✦ प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है

रेगिस्तान के क्षेत्र के बढ़ने का खतरा बढ़ता जाएगा। क्योंकि प्रदेश में अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला के उंचाई घटने से प्रदेश में मानसून सिस्टम भी प्रभावित होगा। प्रदेश में मानसून के जरिए होने वाली बारिश काफी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदेश में रेगिस्तान का भूभाग बढ़ने की ज्यादा संभावना बन जाएगी।

अरावली पर्वतमाला के भू-भाग घटने से यह होंगे नुकसान-

- अरावली पर्वतमाला समाप्त होने से प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार होगा।
- प्रदेश में गर्म हवाओं का व्यापक असर बढ़ता जाएगा।
- प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से बारिश नहीं होगी।
- प्रदेश में भूकंप के झटके आने के बढ़ेंगे असर।
- प्रदेश में अरावली से निकलने वाली नदियां हो जाएगी समाप्त।
- प्रदेश के कृषि क्षेत्र में फसलों पर होगा बुरा असर।
- प्रदेश के भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान में वर्षा का सिस्टम होता जा रहा है प्रभावित

अरावली पर्वतमाला की हाइट कम होने से राजस्थान की वर्षा का सिस्टम प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसून की हवाएं आ रही है। उनमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इसका मुख्य कारण अरावली पर्वतमाला की हाइट कम होने से नहीं टकरा पा रही है, जो हवाएं अरावली से टकराकर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बारिश करती थी लेकिन अब वह अब पश्चिमी राजस्थान की तरफ जा रही है और अब पश्चिम क्षेत्र में बरसात देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर राजस्थान का वर्षा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। इसके चलते पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है। यह काफी चिंताजनक बात है कि अरावली पर्वतमाला की हाइट घटती जा रही है। इससे राजस्थान में कई विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। अरावली पर्वतमाला के क्षरण होने का सिलसिला 1990 के दशक में शुरू हुआ। इसके बाद यह क्रम तेजी से बढ़ने लगा। इसके पीछे शहरी क्षेत्र के विकास का कारण माना जा रहा है। दिल्ली और राजस्थान के शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्यों के कारण अरावली पर्वतमाला का अंधाधुंध दोहन शुरूहो गया। इसके चलते पत्थरों और खनिजों के लिए

अडानी जैसे उदयोगपतियों को होगा फायदा

अरावली पर्वत और गौतम अडानी के बीच एक कनेक्शन है, जो हालिया विवादों से जुड़ा है, केंद्र सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा में बदलाव के बाद, जिससे लगभग 90 प्रतिशत पहाड़ियों को कानूनी संरक्षण से बाहर कर दिया गया है, यह आरोप लगाया जा रहा था कि यह बदलाव अडानी समूह जैसी कंपनियों को खनन और निर्माण कार्यों के लिए अरावली के बड़े हिस्से को खोलने का रास्ता बना सकता है, खासकर राजस्थान में, क्योंकि यह क्षेत्र सीमेंट और अन्य खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है।

कनेक्शन के मुख्य बिंदु

खनन और निर्माणः आलोचकों का कहना है कि अरावली की नई परिभाषा से बड़े भू-भाग को खनन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा और यह अडानी जैसे बड़े व्यवसायों के लिए फायदेमंद है।

अडानी समूह पर आरोपः सोशल मीडिया और रिपोर्ट्स में यह आरोप लगाया जा रहा था कि यह नया नियम अरावली क्षेत्र में अडानी समूह की सीमेंट कंपनियों के लिए खनन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है।

पर्यावरण की चिंताः इस बदलाव से दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे क्षेत्र में पानी की कमी और रेगिस्तान बनने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अरावली एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है।

यह कनेक्शन एक नीतिगत बदलाव से जुड़ा है जिसे गौतम अडानी की कंपनियों के व्यावसायिक हितों से जोड़ा जा रहा है, जिससे अरावली पर्वतमाला के भविष्य और पर्यावरण पर असर पड़ता। इसे खनन और निर्माण कार्यों के लिए खोल दिया जाता। इससे गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों, जिनमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। गौतम अडानी के लिए अरावली पर्वत नहीं, बल्कि अडानी समूह की परियोजनाओं (जैसे हवाई अड्डे और खनन) के लिए अरावली के कुछ हिस्सों में खनन और निर्माण को लेकर विवाद चल रहा है, जिससे पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग चिंतित हैं, क्योंकि सरकार की नई परिभाषा से पहाड़ियों

अरावली पर्वतमाला में खनन प्रक्रिया तेज शुरूहो गई। इसके अलावा पेड़ों की कमी से अरावली पर्वतमाला कमजोर होकर ढहने लगी। इसको लेकर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।

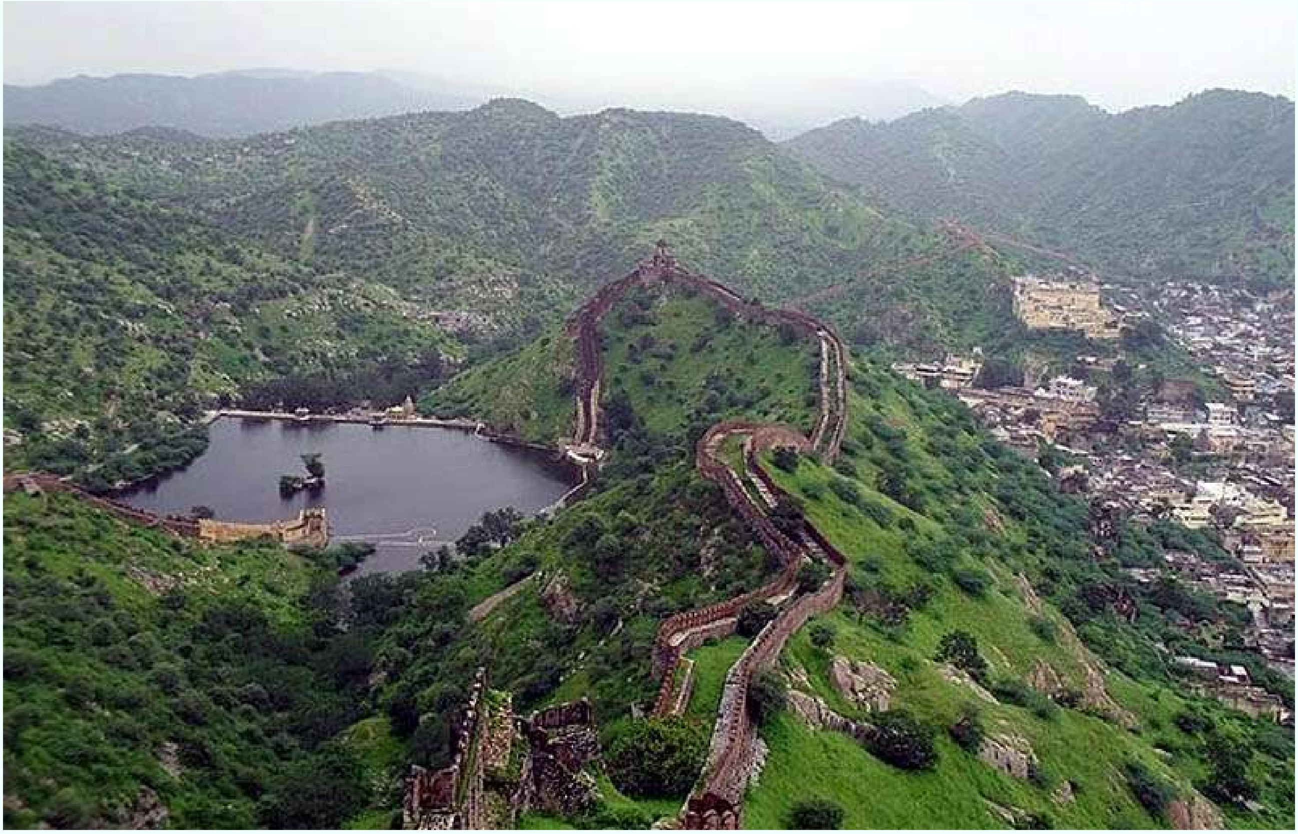

को कानूनी सुरक्षा मिलने की बजाय खनन की अनुमति मिल सकती थी। यह मुद्दा अडानी के लिए अरावली खोदने का नहीं, बल्कि एक नई सरकारी परिभाषा के कारण अरावली के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिस्सों को खनन और विकास के लिए खुलने के खिलाफ एक बड़ा जन-पर्यावरण आंदोलन था। केंद्र सरकार की नीतियों से अरावली के बड़े हिस्से (90 प्रतिशत तक) को खनन और विकास के लिए खुला छोड़ा जा रहा था, जिससे अडानी समूह जैसी कंपनियों को फायदा हो सकता था, क्योंकि ये नीतियां खनन को बढ़ावा देती हैं और अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं, जिसे अडानी के नाम किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगते हैं।

अब ऐसा क्या हुआ कि चर्चा में आ गई अरावली श्रृंखला?

सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की पहचान के लिए अलग-अलग राज्य अलग मानक रख रहे हैं। यहां तक कि विशेषज्ञ समूह भी अलग मानकों से अरावली पर्वत को परिभाषित कर रहे हैं। इनमें फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) शामिल है। दरअसल, 2010 में एफएसआई ने कहा था कि अरावली श्रृंखला में उन्हें ही पर्वत माना जाएगा, जिनकी ढलान तीन डिग्री से ज्यादा हो। उंचाई 100 मीटर के उपर हो और दो पहाड़ियोंके बीच की दूरी 500 मीटर हो। हालांकि, कई उंची पहाडियां भी इन मानकों पर नहीं थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय, एफएसआई, राज्यों के वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और अपनी

अरावली पर्वत में मिलने वाले खनिज

अरावली राजस्थान को दो प्रमुख भौगोलिक हिस्सों में बांटती है, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और पूर्वी उपजाउ मैदान है। अरावली के तीन प्रमुख भाग हैं, जिसमें दक्षिणी अरावली, सबसे उंचा और

समिति के प्रतिनिधियों को लेते हुए एक और समिति बनाई। इस समिति को अरावली की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी दी गई। आखिरकार 2025 को इस समिति ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि अब सिर्फ 100 मीटर से उंची पहाड़ियोंको ही अरावली पर्वत शृंखला का हिस्सा माना जाएगा। इस मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी के. परमेश्वर ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह परिभाषा काफी संकीर्ण है और सभी पहाडयिां, जिनकी उंचाई 100 मीटर से कम है, वह खनन के लिए योग्य हो जाएंगी। इससे पूरी श्रृंखला पर असर पड़ेगा। हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने तर्क दिया कि एफएसआई के पुराने मानक अरावली के और बड़े क्षेत्र को पर्वत की परिभाषा से बाहर करते हैं। ऐसे में समिति की 100 मीटर की पहाड़ियोंको पर्वत श्रृंखला मानने का तर्क काफी बेहतर है।

इन सभी तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला पर बेहतर प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों को पहले से तय किया जाएगा, जहां खनन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों को भी पहचाना जाएगा, जहां सिर्फ सीमित या नियमित ढंग से ही खनन को मंजूरी मिल पाए। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल खनन के लिए नए पट्टे देने पर प्रतिबंध बरकरार रखा है।

अगर लागू होते हैं मानक तो अरावली के कितने हिस्से पर पड़ेगा असर?

अरावली के कुल 800 किलोमीटर से अधिक के दायरे में से 550 किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली सिर्फ उंचाई का विषय नहीं, बल्कि एक संपूर्ण

सघन पहाड़ी क्षेत्र है। यहीं प्रदेश की सबसे उंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, जिसकी उंचाई 1722 मीटर है। माउंट आबू, कुम्भलगढ़ और अचलगढ़ इसी क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह मध्य अरावली क्षेत्र अजमेर और जयपुर के बीच फैला है। यहां

पारिस्थितिक तंत्र है। सरकारी और तकनीकी अध्ययनों के अनुसार राजस्थान में मौजूद अरावली की करीब 90 प्रतिशत पहाड़ियां 100 मीटर की उंचाई की शर्त पूरी नहीं करतीं। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य की केवल 8 से 10 प्रतिशत पहाडयिां ही कानूनी रूप से अरावली मानी जाएंगी, जबकि शेष लगभग 90 प्रतिशत पहाडयिां संरक्षण कानूनों से बाहर हो सकती हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि यह लड़ाई केवल अदालत या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। अरावली का नुकसान स्थायी हो सकता है, क्योंकि एक बार पहाड़ कटे और जलधाराएं टूटीं तो उन्हें वापस लाने में सदियां लग जाती हैं। इसी कारण जनजागरण और सवाल उठाना आज भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत बन गया है।

क्यों खतरनाक थी नई परिभाषा?

सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिश स्वीकार कर अरावली की नई परिभाषा तय की थी। ऐसे में अब केवल वे भूमिरूप अरावली माने जाएंगे, जो आसपास की जमीन से 100 मीटर या अधिक उंचे हों। इसे समुद्र तल से नहीं माना जाएगा। दो पहाडयिां 500 मीटर के दायरे में हों तो रेंज मानी जाएगी। पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (एफएसआई) 3 डिग्री ढलान के आधार पर परिभाषा तय करता था। पर्यावरण विशेषज्ञ के अनुसार, खनन कार्य के लिए कथित सिस्टम की मिलीभगत से 100 मीटर या उससे उंची पहाड़ियोंको भी 60 मीटर या 80 मीटर दिखाकर

टूटे-फूटे पहाड़ और घाटियां हैं। पश्चिमी राजस्थान की जीवनरेखा लूणी नदी का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। उत्तर-पूर्वी अरावली क्षेत्र में जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू में फैला हुआ है। यहां के पहाड़ सबसे ज्यादा क्षरणग्रस्त हैं। रघुनाथगढ़

सरकार से अनुमति ले लेते हैं। उसके लिए ये पहाड़ी नापने के लिए अल्टीमीटर का सहारा लेते हैं, जबकि कई मौकों पर सरकार कह चुकी है कि पहाड़ की उंचाई अल्टीमीटर से नहीं नापी जा सकती है।

12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 ही 100 मीटर से उपर

एफएसआई की आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के 15 जिलों में 20 मीटर से उंची 12,081 पहाड़ियोंमें से केवल 1,048 (8.7 फीसदी) ही 100 मीटर से उंची हैं। इससे 90 फीसदी से अधिक क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाएगा और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन और निर्माण की आशंका बढ़ जाएगी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों में खनन पर रोक लगाई थी और समिति गठित की। अब कोर्ट ने नई खनन लीज पर रोक लगाई है, लेकिन मौजूदा परियोजनाओं और सस्टेनेबल माइनिंग की योजना बनाने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिभाषा खनन माफिया और निर्माण कंपनियों को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि अरावली में तांबा, जस्ता, मार्बल जैसे खनिज प्रचुर हैं। इससे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा जैसे शहरों में निर्माण सामग्री तो सस्ती मिलेगी, लेकिन पर्यावरणीय क्षति अपूरणीय होगी।

अरावली पर्वत श्रृंखला का धार्मिक और पौराणिक इतिहास

राजस्थान पर्यटन विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण और शैक्षणिक अध्ययन के अनुसार, अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक महत्व की है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह समृद्ध है। यहां कई प्राचीन मंदिर, तीर्थस्थल और पवित्र वन (सेक्रेड ग्रोव्स) हैं, जो हिंदू, जैन और आदिवासी परंपराओं से जुड़े हैं। पौराणिक रूप से इसका सीधा उल्लेख प्रमुख ग्रंथों जैसे वेद या महाभारत में कम है, लेकिन कुछ मान्यताओं में रामायण से हनुमान की यात्रा का जुड़ाव बताया जाता है।

फैसले पर सवाल क्यों उठ रहे हैं?

यह पहला मौका नहीं है। साल 2018 में खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 31 अरावली पहाड़ खनन से गायब हो चुके हैं। फिर भी, अदालत ने 2010 के एक पुराने मानक को अपना लिया, जिसे अब पर्यावरणविद बेहद ही विनाशकारी बता रहे हैं। ये विवाद तब और भी बढ़ गया जब यह सामने आया कि केंद्र सरकार के हलफनामे में चित्तौड़गढ़ (जहां अरावली की उंची चट्टान पर किला है) और सवाई माधोपुर (रणथंभौर टाइगर रिजर्व) जैसे इलाके शामिल ही नहीं थे।

और खोह यहां के प्रमुख शिखर हैं। अरावली में खनिजों की भरमार है। यहां तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। यही वजह है कि संरक्षण और विकास के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है।

इनका कहना था..

फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए रेड कार्पेट है :

अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिससे अरावली का दायरा सिमट गया है। अरावली राजस्थान का केवल पर्वत नहीं, हमारा रक्षा कवच है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसे 100 मीटर के दायरे में समेटना, प्रदेश की 90 प्रतिशत अरावली के मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने जैसा है। सबसे भयावह तथ्य यह है कि राजस्थान की 90ऽ अरावली पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं। यदि इन्हें परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो यह केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि कानूनी कवच हटाना है। इसका सीधा मतलब है कि इन क्षेत्रों में अब वन संरक्षण अधिनियम लागू नहीं होगा और खनन बेरोकटोक हो सकेगा। पहाड़ की परिभाषा उसकी ऊँचाई से नहीं, बल्कि उसकी भूगर्भीय संरचना से होती है। एक छोटी चट्टान भी उसी टेक्टोनिक प्लेट और पर्वतमाला का हिस्सा है जो एक उंची चोटी है। इसे अलग करना वैज्ञानिक रूप से तर्कहीन है। अरावली थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली दीवार है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि 10 से 30 मीटर उंची छोटी पहाड़िया (रिज) भी धूल भरी आंधियों को रोकने में उतनी ही कारगर होती हैं। इन छोटी पहाड़ियोंको खनन के लिए खोल देने का मतलब दिल्ली और पूर्वी राजस्थान तक रेगिस्तान को खुद निमंत्रण देना है। अरावली की चट्टानी संरचना बारिश के पानी को रोकती है और उसे जमीन के भीतर भेजती है। ये पहाड़ियाँ पूरे क्षेत्र में भूजल रिचार्ज का काम करती हैं। इन्हें हटाने का मतलब पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे उत्तर-पश्चिम भारत में सूखे को निमंत्रण देना है। अरावली वह दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा 'लू' और थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाउ मैदानों में घुसने से रोकती है। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि खनन माफियाओं के लिए रेड कार्पेट है। थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक जाने का निमंत्रण देकर सरकार आने वाली पीढ़ियों के साथ जो अन्याय कर रही है, उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। विडंबना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई इसलिए शुरू हुई थी ताकि अरावली को स्पष्ट रूप से पहचाना और बचाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार की जिस सिफारिश को कोर्ट ने माना, उसने अरावली के 90 प्रतिशत हिस्से को ही तकनीकी रूप से गायब कर दिया।

अरावली के खननः

खनिजः अरावली में लेड, जिंक, कॉपर, सोना और टंगस्टन जैसे खनिज पाए जाते हैं, जिससे खनन की गतिविधियां शुरू हुईं। विभिन्न निजी कंपनियाँ जो पत्थर, रेत और अन्य खनिज निकालती हैं, भले ही पट्टे

इनका कहना था..

यह लाइफ लाइन का सवाल : राजेंद्र सिंह, पर्यावरणविद्

पर्यावरण संरक्षण के लिए दशकों से काम कर रहे वॉटर मैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह ने अरावली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अरावली में खनन की दी जा रही परिभाषा सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की लाइफलाइन का सवाल है। अरावली संरक्षण की शुरु आत सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हुई थी और इसका केंद्र अलवर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले अरावली को भारत की रीढ़ बताया था। उन्होंने सस्टेनेबल माइनिंग शब्द पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह उसी तरह है, जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को अंडे निकालने के लिए काट देना। उनका तर्क है कि खनन चाहे सीमित ही क्यों न हो, पहाड़ की संरचना टूटते ही पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर पड़ जाता है। राजेंद्र सिंह अरावली को आड़ा पर्वत कहते हैं। इसकी वजह यह है कि अरावली उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में फैली है। वहीं, अधिकांश पर्वत उत्तर-दक्षिण दिशा में होते हैं। इसी अनोखी संरचना के कारण अरावली पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं और धूल को रोकने का काम करती है। उनका कहना है कि खेती, पशुपालन, वन उपज और औषधीय पौधों पर आधारित स्थानीय अर्थव्यवस्था अरावली पर ही निर्भर है। यही कारण है कि अब लोग अरावली को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं।

इनका कहना था..

अरावली पहाड़ी को बेचने में लगी मोदी सरकार : जयराम रमेश, कांग्रेस नेता

मोदी सरकार अरावली पहाड़ियों को बचाने में नहीं, बल्कि उन्हें बेचने में लगी है। उनका इरादा अरावली को बेचना है, जबकि समय की जरूरत और मांग इसे बचाने की है। बचाने और बेचने में जमीन-आसमान का फर्क है। अरावली दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। लगभग 34 ऐसे जिले हैं जिन्हें अरावली में शामिल किया गया है और इसकी परिभाषा बदली जा रही है। इसका मतलब है कि और अधिक माइनिंग होगी और दिल्ली में रियल एस्टेट को बढ़ावा दिया जाएगा। अरावली हमारी प्राकृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक विरासत है, इसलिए अगर इतना खतरा है, तो किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अरावली को बचाने के बजाय, वे इसे बेचने में लगे हैं। अरावली को हरा-भरा बनाया जाना चाहिए और उसकी रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन वे वहां माइनिंग को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अरावली के पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बदल जाएगा।

अवैध हों या न हों।

पत्थर और रेत: पिछले कुछ दशकों में पत्थर और रेत का खनन बहुत बढ़ गया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है।

रियल एस्टेट और विकास: डेवलपर्स और शेल कंपनियों के ज़रिए अवैध खनन और ज़मीन के कब्ज़े किए जा रहे हैं, खासकर दिल्ली-NCR के पास। ऐसे ग्रुप जो अरावली की ज़मीनों पर कब्ज़ा करके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं।

पतंजलि : संस्थाओं पर भी कई एकड़ ज़मीन पर कब्ज़े और अवैध खनन में शामिल होने के आरोप लगे हैं, हालाँकि यह एक बड़ा मामला है और कई शेल कंपनियों के ज़रिए हो रहा है।

SIR

लोकतंत्र के शुद्धिकरण में आवश्यक

भारत जैसे बड़ी जनसँख्या वाले और विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र में जहाँ प्रत्येक नागरिक का मत ही लोकतंत्र का मूल आधार है, इस मत का सही महत्व तब ही हो सकता है, जब मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और समावेशी हो। दीर्घ अंतराल के बाद शहरीकरण, प्रवासन, मृतकों के नाम, दोहरे पंजीकरण, अशिक्षा, असमान पहुँच तथा तकनीकी व्यवधानों के कारण मतदाता सूची में त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण भारत निर्वाचन आयोग समय-समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण कराता है, ताकि प्रत्येक नागरिक की वास्तविक उपस्थिति सूची में सुनिश्चित की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों में दूसरे चरण का एसआईआर अर्थात मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। 1951 से 2004 तक 08 बार एसआईआर किया जा चुका है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और झारखंड में अंतिम SIR 01.01.2003 को हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों, महाराष्ट्र आदि में अंतिम गहन पुनरीक्षण 01.01.2002 को संपन्न हुआ था। कुछ राज्यों जैसे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में यह 01.01.2005 को आयोजित हुआ था। इस प्रकार अंतिम एसआईआर २१ साल से अधिक पहले 2002-2004 में किया गया था। इन तिथियों का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आधार पर यह पता चलता है कि वर्षो से कहाँ गहन सत्यापन नहीं हुआ और कितनी आवश्यकता है कि 2025-26 का यह SIR अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। प्रथम चरण में बिहार में संपन्न होने के बाद अब दूसरे चरण में 12 राज्यों में भी एसआईआर का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है। वर्तमान विशेष पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 की योग्यता तिथि के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से लोकतंत्र की सही और सटीक निष्पक्षता के लिए एसआईआर होना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया से किसी को भी कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। खासकर राजनीतिक दलों को तो इसका समर्थन करना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र वाले हमारे देश में राजनीतिक दलों को निरर्थक रूप से विरोध करने की आदत हो गई है। वोटबैंक की राजनीति में यह दल भूल जाते हैं कि यह देश उनका है जो देश के नागरिक हैं। उनका नहीं जो घुसपैठिये हैं। यह भी नहीं है कि भारत में पहली बार एसआईआर हो रहा है इससे पहले भी कई बार ऐसी प्रक्रिया को अपनाया गया है।

विजया पाठक

लोकतंत्र में जनता का वोट ही सरकारों का निर्माण करता है और यदि मतदाता सूची में ही त्रुटियाँ हों- दोहरे नाम, मृत व्यक्तियों के नाम, स्थानांतरित मतदाता, अपात्र पंजीकरण हो तो चुनाव की विश्वनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इन्हीं जमीनी चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वर्षों बाद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रारंभ किया है, जो देश के 12 राज्यों में दूसरे चरण में संचालित हो रहा है। SIR का उद्देश्य केवल मतदाताओं की

गिनती भर नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में विश्वास को पुर्नस्थापित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित, वैध और प्रभावशाली हो। वर्षों बाद हो रहा यह गहन पुनरीक्षण आने वाले दशकों तक भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सटीक और जवाबदेह बनाने का आधार बनेगा। भारत का प्रत्येक मतदाता इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब हर नागरिक की आवाज़ सही रूप से दर्ज हो। लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक निर्णायक कदम है। विशेष गहन पुनरीक्षण केवल सूची सुधार का अभियान नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के प्रति नागरिक अधिकारों की पुनर्पुष्टि है। दरअसल एसआईआर पूरे चुनाव, लोकतंत्र और

भारत का प्रत्येक मतदाता इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब हर नागरिक की आवाज़ सही रूप से दर्ज हो। लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक निर्णायक कदम है। विशेष गहन पुनरीक्षण केवल सूची सुधार का अभियान नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के प्रति नागरिक अधिकारों की पुनर्पुष्टि है।

चुनाव आयोग के वजूद के ही पक्ष में ही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह देश के सारे के सारे मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करे। उसका प्राथमिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि देश में कोई एक भी मतदाता ऐसा नहीं होना चाहिए जो मतदाता सूची से बाहर हो। लोकतंत्र में चुनाव की केंद्रीय भूमिका होती है और उसमें सभी मतदाताओं को शामिल कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है।

एसआईआर मतदाता सूची क्या है?: व्यापक संशोधन के हिस्से के रूप में नई मतदाता सूचियाँ तैयार करने के लिए घर-घर जाकर गणना की जाती है। मौजूदा सूचियों को देखे बिना, गणनाकर्ता प्रत्येक घर जाकर एक निर्धारित तिथि तक पात्र

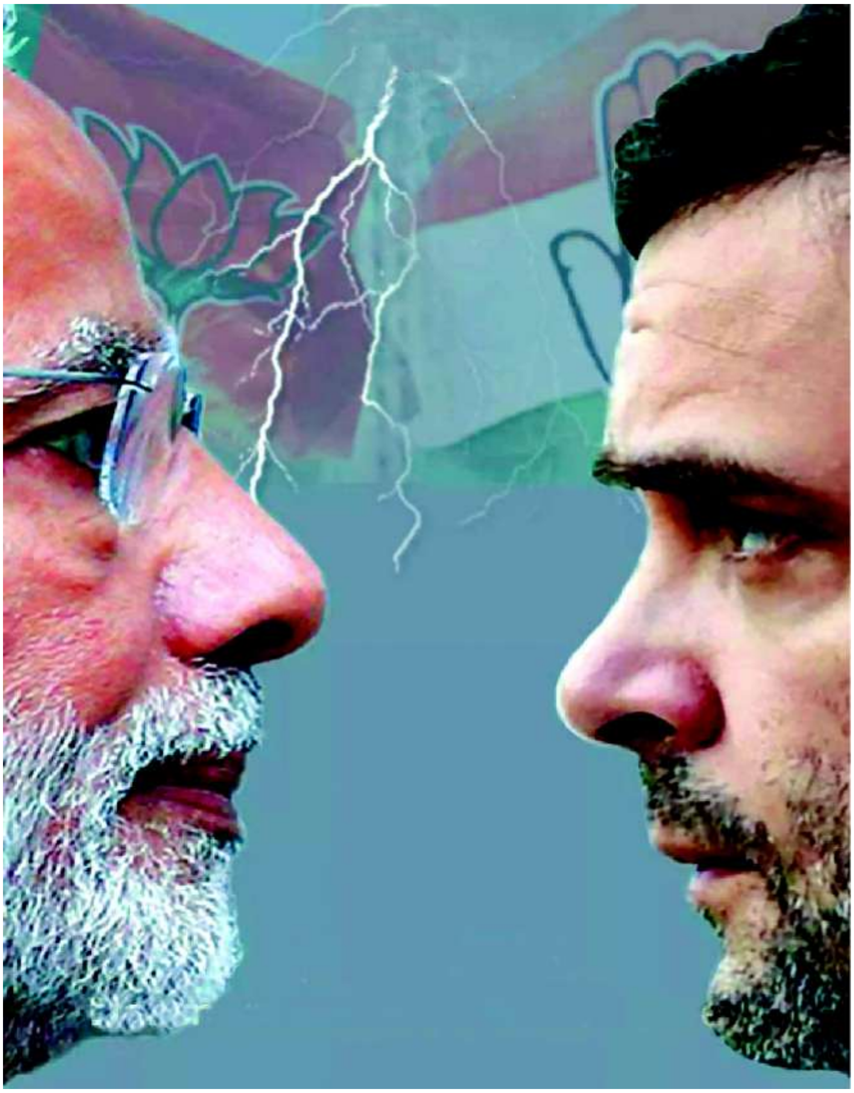

एसआईआर का दूसरा चरण, जिसकी घोषणा 27 अक्टूबर, 2025 को की गई थी, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मतदाता सूची का मसौदा 09 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया गया, जिसके बाद नागरिक 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मौजूदा मतदाताओं के लिए आवश्यकताओं को सरल बना दिया गया है।

मतदाताओं की सूची बनाते हैं। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मौजूदा मतदाता सूची को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है या उसमें त्रुटियां हैं। यह आमतौर पर महत्वपूर्ण चुनावों से पहले या निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन जैसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद होता है। एसआईआर मतदाता सूची का सीधा सा मतलब है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाने वाली मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन। यह मतदाता सूची सत्यापन और संशोधन की एक बहुत ही विस्तृत और गहन प्रक्रिया है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और न ही कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल हो।

एसआईआर का दूसरा चरण, जिसकी घोषणा 27 अक्टूबर, 2025 को की गई थी, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मतदाता सूची का मसौदा 09 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया गया, जिसके बाद नागरिक 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। मौजूदा मतदाताओं के लिए आवश्यकताओं को सरल बना दिया गया है। 2003 की मतदाता सूची में शामिल लोगों को शायद ही कभी नए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। नए मतदाताओं या जिनका पहले पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें आधार कार्ड और हाल की तस्वीर जैसे साधारण पहचान पत्र की आवश्यकता होगी। बूथ स्तर के अधिकारी पात्र मतदाताओं से सक्रिय रूप से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें फॉर्म वितरित कर रहे हैं ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। अंतिम मतदाता सूची 07 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। इस चरण से अनुमानतः 51

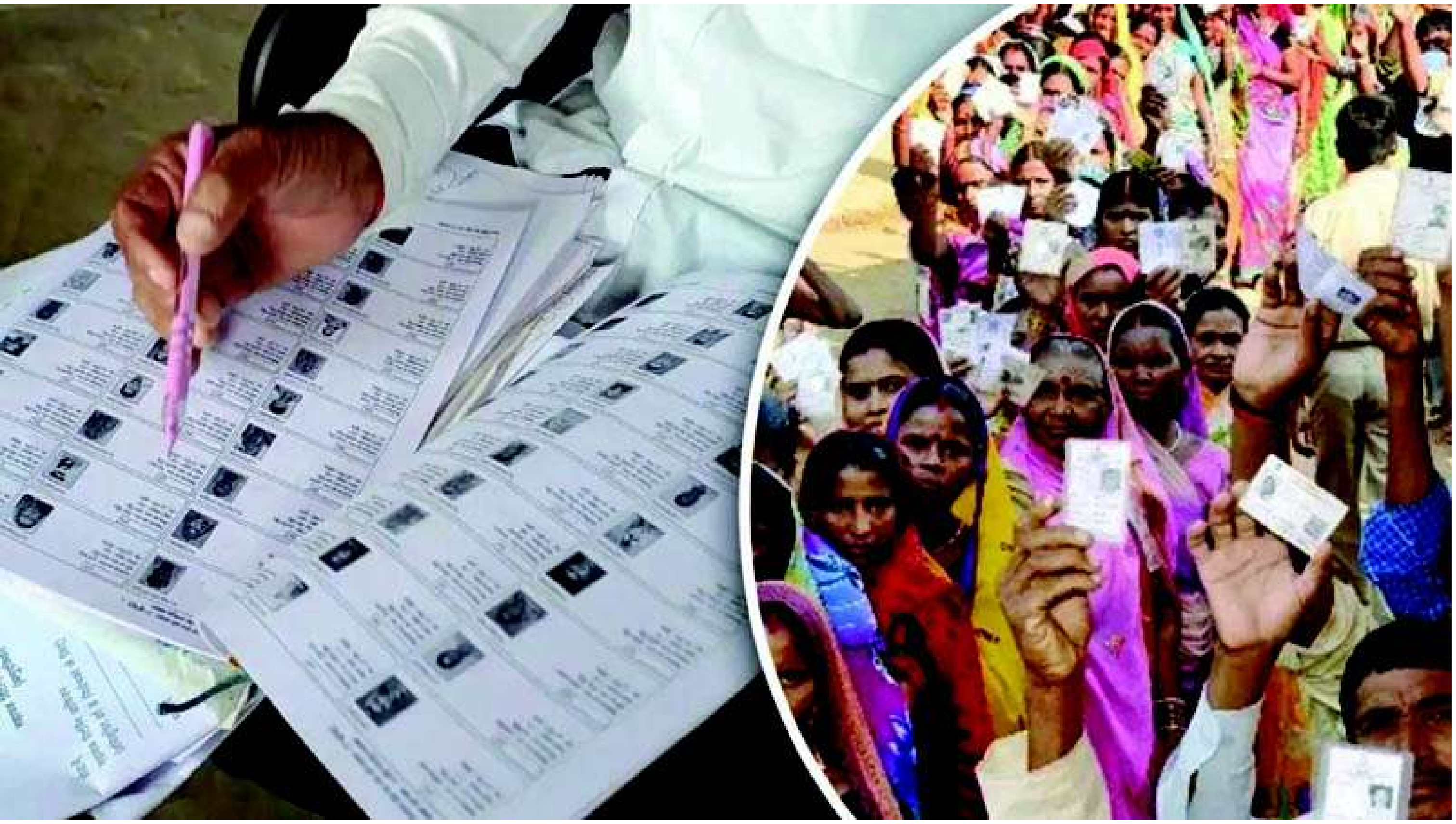

करोड़ से अधिक मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा और संशोधन एवं सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पूर्ण समावेशन और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। असम जैसे विशेष राज्यों में विशेष राज्य नागरिकता आवश्यकताओं के अनुसार एसआईआर संशोधन की प्रक्रिया बाद में स्वतंत्र रूप से की जाएगी।

अंततः विशेष गहन पुनरीक्षण पात्र मतदाताओं को ही मताधिकार के माध्यम से न केवल निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को वास्तविक धरातल पर स्थापित करता है। जब प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में होता है और प्रत्येक अपात्र व्यक्ति को समय रहते हटाया जाता है, तभी जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन की भावना सच्चे अर्थों में साकार होती है।

विशेष गहन पुनरीक्षण पात्र मतदाताओं को ही मताधिकार के माध्यम से न केवल निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को वास्तविक धरातल पर स्थापित करता है। जब प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में होता है और प्रत्येक अपात्र व्यक्ति को समय रहते हटाया जाता है,

विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य सटीक और त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। निर्वाचक नामावली का घर-घर जाकर वास्तविक भौतिक नामांकन करना। इसके अंतर्गत बूथ स्तर अधिकारी (BLO) सीधे प्रत्येक घर पहुँचकर मतदाता की वास्तविकता, पते, पहचान, निवास और पात्रता की पुष्टि करते हैं। बिहार में हुए SIR और वर्तमान में 12 राज्यों में चल रहे SIR के बीच सबसे बड़ा और मूल अंतर यही है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण में नागरिकता और जन्म/निवास की पुष्टि के लिए दस्तावेजों की एक विस्तृत, परंतु संकेतात्मक सूची भी निर्धारित की गई है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र,

पासपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, जाति प्रमाण, परिवार रजिस्टर, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जमीन/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, NRC (जहाँ लागू) तथा सरकारी संस्थानों द्वारा 01 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र सम्मिलित हैं। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मतदाताओं पर लागू होता है जो पहले SIR की मतदाता सूची से संबद्ध नहीं पाए जाते या जिनकी जानकारी आयोग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती। भारत निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया को पारदर्शी जन-हितैषी बनाने और भी कई कदम उठाए हैं, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन, काल सेंटर, हेल्प डेस्क ,आम नागरिक के लिए सरल गाइडलाइन, सोशल मीडिया जागरूकता और नियम को सरल भाषा में समझाने वाले परिपत्र जारी किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी मतदाता के मन में अनावश्यक शंका न रहे। कई जिलों में सहायता काउंटर और समन्वय टीमें पंचायत भवन, नगर निकाय कार्यालय, तहसील और ब्लॉक कार्यालय और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर भी लगाए गए हैं। इसके अलावा SVEEP कार्यक्रम, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता, स्थानीय रेडियो-FM, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप समूह, पंचायत-स्तरीय बैठकें और मोहल्ला-वार सूचना अभियान जैसे प्रयासों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। विशेष ध्यान वृद्ध, दिव्यांग, प्रवासी मजदूर, अशिक्षित और PVTG जैसे समुदायों पर दिया गया है, ताकि किसी भी कारणवश ये मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। BLO App, पोर्टल और ECINET जैसे डिजिटल माध्यमों ने पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को तेज, कुशल और पारदर्शी बना दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने तकनीकी सुधारों के साथ ही मतदाता हित को केंद्र में रखते हुए एक सहभागितापूर्ण और भरोसेमंद वातावरण तैयार किया है जो कि लोकतंत्र के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

वर्तमान चक्र में जिन बारह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उनमें से चार राज्यों में, जहां मतदाता नामंकन का चरण पूरा हो चुका है, करीब तीन करोड़ नाम काटने का प्रस्ताव है। इनमें सबसे ज्यादा, 97 लाख नाम तमिलनाडु में ही काटे गए हैं। इसके अलावा गुजरात में 73.7 लाख, प.बंगाल में 58 लाख और राजस्थान में 41.8 लाख

SIR को लेकर बंगाल में मचा सियासी घमासान

SIR के केन्द्र में घुसपैठियों का मुद्दा

पश्चिम बंगाल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख नाम हटाए गए हैं। 1.9 करोड़ वोटरों को संदिग्ध घोषित किया गया है। चुनाव आयोग को उम्र, पारिवारिक विवरण में गंभीर गड़बड़ियां मिलीं। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश में कुल वोटर 07 करोड़ 66 लाख हैं। दावा किया जा रहा कि इन संदिग्ध वोटरों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) के दौरान भरे गए एन्यूमेरेशन फार्म्स की जांच से कई गड़बडियां पकड़ी हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग संदिग्ध कैटगरी में रखे गए हैं, क्योंकि एन्यूमेरेशन फार्म में दी गई जानकारी संदेह पैदा करने वाली है। आयोग को 12 लाख ऐसे फार्म मिले, जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है तो पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है? ऐसे ही 8.77 लाख से ज्यादा फार्म में पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। 3 लाख से ज्यादा फार्म में दादा-दादी और पोते-पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। 85 लाख फार्म में पिता का नाम या तो दर्ज नहीं

नाम काटे गए हैं। बिहार में नामांकन के चक्र में काटे गए 65 लाख नामों को जोड़कर, यह आंकड़ा साढ़े तीन करोड़ से उपर पहुंच जाता है। याद रहे कि ये आंकड़े इस चक्र के आधे ही राज्यों के हैं। इसके अलावा, नामांकन के इस चरण में तो नामंकन फार्म मात्र भरने

या रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा।

बंगाल में SIR को लेकर क्यों मचा है घमासान ?

पश्चिम बंगाल समेत देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जब से वोटर लिस्ट तैयार करने यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से अवैध रूप से बॉर्डर पार कर बांग्लादेश जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश वापस लौटने वाले लोग घुसपैठिए हो सकते हैं। हालांकि, इसकी किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। इस बीच दूसरे दौर में एसआईआर की प्रक्रिया सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। ममता बनर्जी सरकार जहां इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं, वहीं बीजेपी भी जवाबी रणनीति के साथ मैदान में है। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7.6 करोड़ वोटर हैं। इनमें से 2.4 करोड़ वोटरों के नाम का मिलान वर्ष 2002 की सूची से कर लिया गया है। यानी इन करीब 32 फीसदी वोटरों को फार्म के साथ कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बंगाल में SIR पर विवाद सिर्फ संवैधानिक या प्रशासनिक मुद्दा नहीं है- यह एक गहरी राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई भी है, जिसमें नागरिकता, पहचान और वोटिंग अधिकार जैसे अहम विषय जुड़े हुए हैं। खासकर मतुआ समुदाय इस लड़ाई के केंद्र में है। ऐसा इसलिए कि अधिकांश मतुआ पूर्व में बांग्लादेश (या उससे पहले पूर्वी पाकिस्तान) से आए शरणार्थी हैं। उनकी पहचान और वोटिंग अधिकार SIR+CAA दोनों से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। यह विवाद भविष्य की राजनीति, चुनावों और नागरिकता नीति पर भी असर डालेगा। ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं का दावा है कि इससे बंगाल में लोगों के पलायन का दौर शुरू होगा। लाखों की संख्या में मतदाता सूची से नाम कटेंगे और इससे दशकों से बंगाल रह रहे लोग अचानक सड़क पर आ जाएंगे, जिसे किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं

वाले सूची में हैं। इसके बाद, उनके नामों की छंटनी होनी है, जो चुनाव आयोग के पैमाने के हिसाब से 2003 की मतदाता सूची के साथ, अपनी संबद्धता (खुद अपनी या अपने माता-पिता या निकट संबंधी की उस स्थिति) के रूप में साबित नहीं कर पाएंगे

माना जा सकता है। पहले सीमापार करने पर, अब वापसी पर पकड़े जा रहे बांग्लादेशी यही वजह है कि बंगाल में एसआईआर के एलान के बाद से सीमावर्ती इलाके में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों में स्वदेश पलायन की होड़ मच गई है। ऐतिहासिक रूप से 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद से बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान) से हिंदू शरणार्थी बड़ी संख्या में भारत में आए थे। हाल के वर्षों में म्यांमार से रोहिंग्या शरणार्थियों का आगमन भी हुआ है। इनकी कुल संख्या निश्चित रूप से बताना मुश्किल है, लेकिन यह अनुमान है कि 2001 की जनगणना में भारत में बांग्लादेशी प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में थी, जो 40 हजार से ज्यादा है। भारतीय सरकार के अनुमान बताते हैं कि लगभग 2.6 मिलियन प्रवासी पूर्वी बंगाल छोड़कर भारत आए और 0.7 मिलियन प्रवासी भारत से पूर्वी पाकिस्तान आए। पश्चिम बंगाल सरकार के शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग के अनुसार जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की संख्या लगभग 06 मिलियन थी, जो 1981 में 8 मिलियन आंकी गई। देश विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश छोडकर 10 मिलियन लोग भारत में शरण लेने आए थे। ये शरणार्थी पश्चिम बंगाल और भारतीय उत्तर पूर्व क्षेत्र, विशेष रूप से त्रिपुरा और असम में बस गए। लगभग 05 लाख लोग भारत के अन्य हिस्सों में भी बस गए, जिनमें दिल्ली में चित्तरंजन पार्क, ओडिशा, मध्यप्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। दिल्ली में अनुमानित 5 लाख और मुंबई में 3 लाख बंगाली भी बड़े पैमाने पर पूर्वी बंगाली शरणार्थी और उनके वंशज हैं। मतुआ समुदाय के लोग बड़ी संख्या में गुजरात में भी रहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के शरणार्थी राहत और पुनर्वास विभाग के अनुसार 1971 में जिलेवार शरणार्थियों की आमद का मुख्य जोर 24-परगना (कुल शरणार्थियों का 22.3 प्रतिशत), नादिया (20.3 प्रतिशत), बांकुरा (19.1 प्रतिशत) और कोलकाता (12.9

और इसलिए, मतदाता सूची में रहने की शर्त के तौर पर अपनी नागरिकता साबित करने के लिए बाध्य किए जाएंगे। इस कठिन परीक्षा में जो सफल नहीं होंगे, उनके नाम दूसरे चक्र में कट जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान चरण में कटने वाले वोटों

प्रतिशत) पर था। मतुआ, बंगाली हिंदुओं का एक वंचित या दलित वर्ग है। यह वर्ग बंगाल के अनुसूचित जाति समूह का हिस्सा है। बंगाल के शरणार्थियों में पाकिस्तान से आए हिंदू-सिख शरणार्थी भी शामिल हैं, जो दशकों से नागरिकता और स्थायी अधिकारों की उम्मीद में जीवन बिता रहे हैं। SIR की सख्ती के बाद सवाल यह खड़ा हो गया है कि अगर कागजात अधूरे पाए गए तो इन शरणार्थियों का भविष्य किस दिशा में जाएगा और क्या एसआईआर की प्रक्रिया उन्हें राहत दे पाएगी या नई मुश्किलें पैदा होंगी। इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन मतुआ समुदाय के लोग लंबे समय से नागरिकता की मांग करते आए हैं। ऐसे में उनके लिए यहां पलायन करना मुश्किल भरा हो सकता है। फिर, सवाल यह उठता है कि ऐसे लोग जो दशकों से यहां रहते हैं, उनका क्या होगा? फिलहाल, यह विवाद भविष्य की राजनीति, चुनावों और नागरिकता नीति पर भी असर डालेगा।

संदिग्ध वोटरों को भेजा गया नोटिसः बंगाल में 1.90 करोड़ संदिग्ध वोटरों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें सफाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर जांच से हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है

नाम कटने की वजहें: यह साफ है कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में हैं। मगर, 58 लाख नाम कटने और 1 करोड़ 90 लाख संदिग्ध पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी परेशान है। चुनाव आयोग का कहना है कि 58 लाख नाम कटने की वजह साफ है कि 24 लाख से ज्यादा की मौत हो गई है। 20 लाख लोग दूसरे राज्यों में चले गए। 01 लाख 38 हजार से ज्यादा के नाम पर दो या ज्यादा वोट बने थे और 12 लाख 20 हजार वोटरों को ट्रेस नहीं किया जा सका। सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना जिलों में कटे हैं। वहां करीब 8-8 लाख नाम हटाए गए। नंदीग्राम सीट पर भी 10 हजार से ज्यादा नाम कटे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में मृत वोटरों के नाम नहीं काटे गए थे और इसी तरह के फेक वोट से वह जीत दर्ज करती थीं। उन्होंने कहा कि अब ये नाम कट जाएंगे, इसलिए ममता बनर्जी को चिंता सता रही। माना जा रहा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बंगाल की सियासत में और भी ज्यादा घमासान देखने को मिल सकता है।

बंगाल में SIR को लेकर भड़कीं ममता बनर्जी : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूचियों की अब तक की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद प्रकाशित मसौदा सूचियों में भारी त्रुटियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग राज्य सरकार को सूचित किए बिना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया, निर्वाचन आयोग केवल भाजपा के निर्देशों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि इतने सारे असली मतदाताओं की समस्याओं को इतने कम समय में कैसे हल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में गणना के चरण के बाद प्रकाशित मसौदा मतदाता सूचियों में से 58,20,899 नाम हटाए गए हैं और राज्य में मतदाताओं की संख्या घटकर 7.08 करोड़ रह गई है. लगभग 1.36 करोड़ नाम को तार्किक विसंगतियों के कारण चिह्नित किया गया है, जबकि 30 लाख मतदाताओं को अनमैप्ड श्रेणी में डाला गया है।

की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच सकती है। मिसाल के तौर पर तमिलनाडु में जहां 26.9 लाख नाम मृतकों के रूप में और 4 लाख डुप्लीकेट वोटर के रूप में काटे गए हैं, वहीं 66.4 लाख नाम अनुपलब्ध या कहीं चले गए के नाम पर काटे गए हैं। वास्तव में यह

घुसपैठियों पर योगी की सख्ती

उत्तरप्रदेश में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) केवल मतदाता सूची को दुरूस्त करने की प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि यह इस बात की परीक्षा है कि देश का सबसे बड़ा राज्य अपने लोकतंत्र को कितनी गंभीरता से लेता है। यह इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश है कि क्या लोकतंत्र अपनी जड़ों तक पहुंच पा रहा है, या रास्ते में ही कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ आवाजें छूट जा रही हैं? सवाल सीधा है, क्या लोकतंत्र हर नागरिक तक पहुंच रहा है, या करोड़ों नाम रास्ते में ही छूट जा रहे हैं? यूपी में कुल 15,41,03,670 मतदाता थे, जिनमें 8,77,23,028 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी प्रदेश की सभी 80 सीटों पर 59.11 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। यह संख्या अपने आप में एक ठोस आधार है। ये वे लोग हैं, जिनके नाम उस समय मतदाता सूची में थे, जिन्होंने पहचान, आयु और पते की सभी शर्तें पूरी की थीं और जिन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई। आज जब एसआईआर के आंकड़े यह बताते हैं कि करीब 3 करोड़ पात्र मतदाता सूची से बाहर हैं, तो सवाल उठता है, क्या ये लोग अचानक गायब हो गए? या फिर कहीं

श्रेणी सबसे बढ़कर, आम तौर पर अपने राज्यों से बाहर जाने वाले प्रवासी मजदूरों के नाम और दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के नाम, दोनों को काटे जाने का औजार बन गयी है। लेकिन, मृतकों के नाम काटे जाने तक की

न कहीं प्रणाली से चूक हो रही है? मतलब साफ है 25 करोड़ की आबादी, 16 करोड़ मतदाता, पर सूची में केवल 12 करोड़, ये हैरतअंगेज नहीं तो और क्या है? सामान्य जनसांख्यिकीय गणना के अनुसार, किसी भी समाज में 60 से 65 प्रतिशत लोग मतदान योग्य आयु वर्ग में होते हैं। इस हिसाब से यूपी में करीब 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए। लेकिन एसआईआर की मौजूदा स्थिति बताती है कि अब तक करीब 12 करोड़ मतदाताओं की ही मैपिंग या डेटा फीडिंग हो सकी है, यानी लगभग 03 करोड़ मतदाता अब भी मिसिंग हैं। इस अंतर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा है कि यह गंभीर गैप है और इसे भरना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। मिसिंग वोटर का मुद्दा राजनीतिक बहस से कहीं बड़ा है। यह सवाल न सत्ता का है, न विपक्ष का। यह सवाल है अधिकार का, पहचान का और सहभागिता का। इन छूटे हुए नामों में, वे मतदाता भी हैं जिन्होंने 2024 में मतदान किया, वे युवा भी हैं जो अब 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं, वे प्रवासी मजदूर भी हैं जो अस्थायी रूप से बाहर हैं, और वे लोग भी हैं जिनके नाम तकनीकी या मानवीय चूक से दर्ज नहीं हो पाए। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति यह नहीं होती कि कोई चुनाव हार जाए, बल्कि यह होती है कि कोई नागरिक चुनाव से बाहर रह जाए। एसआईआर के साथ एक और बहस तेज हुई, कि इस प्रक्रिया के जरिए मुस्लिम वोट काटे जाएंगे। लेकिन जमीनी रिपोर्ट इस दावे को खारिज करती है। मतदाता सूची की प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है, जब मतदाता को भरोसा हो कि उसका नाम सुरक्षित है, उसकी पहचान का सम्मान है और उसका अधिकार किसी अफवाह की भेंट नहीं चढ़ेगा। डर लोकतंत्र को कमजोर करता है, जबकि भरोसा उसे मजबूत करता है। एसआईआर की असली कसौटी यही है कि यह भय को तोड़कर विश्वास को कितना मजबूत कर पाता है। एसआईआर का अंतिम

विश्वनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। विश्लेषण के अनुसार, तमिलनाडु में ही कुल 75,018 मतदान बूथों में से, 3,904 में मौतें राज्य के अनुपात से ज्यादा हैं, जबकि 727 में मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि 495 बूथों में सारे के सारे नाम,

चरण सबसे अहम है। मतलब साफहै उत्तर प्रदेश में एसआईआर यह तय करेगा कि हम लोकतंत्र को सिर्फचुनाव तक सीमित रखते हैं या हर नागरिक तक पहुंचाने का साहस दिखाते हैं। 2024 में जिन्होंने मतदान किया, वे गवाह हैं कि लोकतंत्र जीवित है। अब जिम्मेदारी व्यवस्था की है कि कोई भी मतदाता, किसी भी कारण से सूची से बाहर न रहे। क्योंकि चुनाव कोई भी जीते, लोकतंत्र को जीतना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे बुनियादी शर्त है, मतदाता सूची की शुद्धता। अगर सूची अधूरी है, तो मतदान अधूरा है और अगर मतदान अधूरा है, तो जनादेश भी अधूरा है। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है, जहां लोकतंत्र की धड़कन सिर्फचुनाव परिणामों से नहीं, बल्कि मतदाता की भागीदारी से तय होती है। जनवरी 2025 में जहां प्रदेश की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख नाम दर्ज थे, वहीं आज यह संख्या घटकर करीब 12 करोड़ रह जाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है। खासकर तब, जब एक जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले नए युवाओं के जुड़ने से संख्या बढ़नी चाहिए थी। मुख्यमंत्री का यह कहना कि 98 या 100 प्रतिशत का दावा सच्चाई नहीं है दरअसल प्रशासनिक आत्ममंथन का संकेत है। यह स्वीकारोक्ति बताती है कि एसआईआर केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर नहीं रह सकता। जब तक बूथ स्तर पर वास्तविक सत्यापन, सही दस्तावेज़ और मानवीय निगरानी नहीं होगी, तब तक मतदाता सूची की शुद्धता संदेह के घेरे में बनी रहेगी। लोकतंत्र की मजबूती इस बात से तय होती है कि पात्र नागरिक शामिल हों और अपात्र बाहर रहें। एसआईआर इसी संतुलन की कसौटी है।

बांग्लादेशी नाम और उम्र विसंगतिः एसआईआर के दौरान जिन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए, वे तकनीकी से ज्यादा सुरक्षा और लोकतांत्रिक शुद्धता से जुड़े हैं। सीमा से सटे जिलों या शहरी इलाकों में अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान पत्र और

मौत होने के कारण ही कटे हैं। इसी प्रकार, 8,613 मतदान बूथों पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में यानी राज्य के स्तर के अनुपात से दोगुनी से ज्यादा संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 6,139 मतदान बूथों पर अनुपस्थित या अन्यत्र चले

स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के जरिए नाम दर्ज होने की आशंका लंबे समय से जताई जाती रही है। एसआईआर का उद्देश्य ऐसे नामों की पहचान कर उन्हें हटाना है। 20 साल के बेटे, 30 साल के पिता और 40 साल के दादा जैसे उदाहरण साफ दिखाते हैं कि कई प्रविष्टियां बिना मानवीय जांच के दर्ज हो गईं। यह या तो डेटा एंट्री की गंभीर गलती है या जानबूझकर की गई गड़बड़ी। एसआईआर को लेकर विपक्ष का रुख पूरी तरह अलग है। विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जिम्मेदारी केवल जमीनी स्तर के कर्मचारियों पर डालना उचित नहीं है। संभावित विपक्षी तर्क यह हो सकते हैं, जब जनवरी 2025 में 15.44 करोड़ नाम थे, तो अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? यदि बांग्लादेशी या फर्जी नाम पहले से थे, तो अब तक की सरकारें क्या कर रही थीं? कहीं एसआईआर की प्रक्रिया में जल्दबाजी या तकनीकी खामियां तो नहीं? विपक्ष यह भी कह सकता है कि मतदाता सूची की शुद्धता जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और डर-मुक्त होनी चाहिए। हालांकि, विपक्ष के लिए यह भी चुनौती है कि वह इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक आरोप तक सीमित न रखे, बल्कि समाधान में रचनात्मक भूमिका निभाए। लोकतंत्र की असली पहचान मतदान के दिन नहीं, बल्कि मतदाता सूची के पन्नों में दर्ज होती है। अगर उस सूची में नाम अधूरे हैं, तो चुनाव कितना भी निष्पक्ष क्यों न हो, जनादेश अधूरा ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में चल रहा एसआईआर इसी बुनियादी सच्चाई को सामने ला रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर भाजपा व चुनाव आयोग को घेरा तो कहा था कि दोनों मिलकर तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटना चाहते हैं। तीन करोड़ यानी योगी द्वारा मिसिंग बताए जा रहे मतदाताओं से एक करोड़ कम। अब योगी ने उनसे आगे बढ़कर चार करोड़ मतदाताओं के मिसिंग होने की बात कह डाली है तो अनेक प्रेक्षकों को वे उनको यानी विपक्ष को भी मात देते लगने लगे हैं।

गए घोषित कर काटे गए मतदाताओं का अनुपात राज्य औसत से कहीं ज्यादा है। इनमें से 172 बूथों पर, अन्यत्र चले जाने के लिए काटे गए नामों में, महिलाओं का हिस्सा 75 फीसद से ज्यादा है।

आखिर SIR क्यों आवश्यक हुआ?

एसआईआर को लेकर मध्यप्रदेश में नया विवाद

मध्यप्रदेश में हाल में एसआईआर के बीच हुए एक विवाद ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक समारोह के दौरान कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं हुआ तो उसे राशन, पानी और अन्य सरकारी सुविधाएँ न मिले, एक बयान जिसने कई लोगों में चिंता और आक्रोश खड़ा कर दिया। उनके इस बयान को सत्तारूढ़ दल की ओर से लोगों को डराने-धमकाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि वोटर-लिस्ट में नाम जुड़वाना गुज़र नहीं, बल्कि बाध्यता

शहरीकरण, प्रवासन, बदलती जनगणना प्रकृति, तकनीकी व्यवधान और पुरानी सूची पर निर्भरता ने मतदाता सूची में कई अप्रत्यक्ष त्रुटियाँ छोड़ दी थीं। उल्लेखनीय है कि अंतिम SIR वर्ष 2002-2004 के बीच हुआ था। जिन राज्यों में यह

हो। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बयान को जनता को डराने-धमकाने वाला कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बयान दिखाता है कि किस तरह सत्ता पक्ष मतदाताओं को वोटबैंक के रूप में देख रहा है, न कि नागरिक और उन्हें मिले संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करते हुए। कमलनाथ का कहना है कि इस तरह की धमकी कि वोटर सूची में नाम नहीं जोड़ा, तो राशन-पानी बंद लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इस पर तमाम संवैधानिक, सामाजिक और वैधानिक कदम उठाएंगे ताकि किसी भी नागरिक को उनके मूलभूत

अधिकार से वंचित न होना पड़े।

एसआईआर आवश्यक है, लेकिन निष्पक्षता व संवेदनशीलता बनी रहे: लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार और समाज की बुनियादी सुविधाएँ दो अलग-अलग आधार होने चाहिए। अगर मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अनिवार्य है, तो प्रक्रियात्मक रूप से लोगों को सुविधा, सूचना और अवसर दिए जाएँ न कि धमकाकर या डराकर। सरकार को चाहिए कि एसआईआर अभियान को सूचना मुहिम, दस्तावेज़ों के सरल विकल्प, स्थानीय मदद-केन्द्र और संवेदनशीलता के साथ आगे ले जाए।

राजनीतिक सरगमीः क्यों बढ़ी?: राजपूत के बयान और कमलनाथ के तीखे प्रति उत्तर के बाद, इस मुद्दे ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विपक्ष ने इसे पूर्वाभास माना है कि एसआईआर का प्रयोग सिर्फ मतदाता सूची की पवित्रता के लिए नहीं, बल्कि वोट बैंक और सामाजिक सहायता योजनाओं को राजनीतिक नियंत्रण में बाँधने का माध्यम बन सकता है। साथ ही, यह विवाद यह भी उजागर करता है कि ज़रूरत सिर्फ नाम जोड़ना या नाम हटाना भर नहीं है बल्कि मतदाता सुरक्षा, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, लोकतंत्र की आत्मा और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी है।

लोकतंत्र तभी मजबूत, जब नागरिक-अधिकार सुरक्षित हों: एसआईआर जैसी प्रक्रियाएँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिस्सा हो सकती हैं। बशर्ते वे निष्पक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील और अधिकार-आधारित हों। लेकिन अगर इनका उपयोग राजनीतिक दबाव, डर या ब्लैकमेल के लिए किया जाए जैसे मंत्री का बयान तो यह लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिक विश्वास के लिए खतरा बन जाता है। कमलनाथ के स्पष्ट कदम, विपक्ष का जागरूकता-आह्वान और जनता की सतर्कता इस बात को दर्शाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं वह अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भी है। इस संकट की घड़ी में जब SIR जैसा संवेदनशील विषय विवाद की जद में आया है जरूरी है कि मतदाता सूची को अपडेट किया जाए, मगर साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा भी हो, राशन-पानी, आधार-भत्ता जैसी सामाजिक लाभों को मतदान या मतदाता सूची से जोड़कर न, बल्कि संवैधानिक सुरक्षा व समान नागरिक अधिकार के आधार पर बांधा जाए।

वर्षों से नहीं हुआ, वहाँ 20 से 23 वर्ष पुराने आधार पर मतदाता सूची का अद्यतन किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में मतदाता सूची को एक बार फिर भौतिक रूप से घर-घर जाकर सत्यापित करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि हर नागरिक की

वास्तविक उपस्थिति दर्ज हो सके।

एसआईआर मतदाता सूची क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। अधिसूचना के अनुसार, नई मतदाता सूची तभी जारी की जाएगी जब सभी दावों और आपत्तियों का समाधान हो जाएगा। 28 अक्टूबर, 2025 तक, बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) पूरा हो गया है और अंतिम सूचियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 47 लाख नाम हटाए जाने और 21 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़े जाने के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर 7.42 करोड़ हो गई है।

मतदाता सूची को अंतिम बार 2003 में अपडेट किया गया था

ईसीआई के अनुसार, इसी तरह के एसआईआर पहले भी 1952-56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987-89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में नई मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से देश के सभी या कुछ क्षेत्रों में किए गए थे। बिहार में सबसे हालिया मतदाता सूची निरीक्षण (एसआईआर) 2003 में किया गया था। वर्तमान अभियान की तरह ही, यह एसआईआर भी आधुनिक तकनीक का उपयोग किए बिना 31 दिनों में पूरा किया गया था। 2005 में, चुनावों से पहले सामान्य चक्र के अनुसार मतदाता सूचियों को भी अद्यतन किया गया था। बिहार चुनाव आयोग ने पटना में ही 70,000 दोहरा नाम पाए जाने के बाद उन लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए जिनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी थे। विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद बिहार की मसौदा मतदाता सूची से जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, उनकी सूची भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 1 अगस्त को अपलोड की गई थी। उन मतदाताओं की सूची, जिनके नाम 2025 तक बिहार की मतदाता सूची में थे लेकिन मसौदा मतदाता सूची से छूट गए थे, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट कर दी गई है।

मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर संकट पैदा करेगी एसआईआर की योजनाबद्ध साजिश

राज्य में मतदाता सूची का निर्माण केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पूरी बुनियाद है। चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और विश्वनीयता इसी पर निर्भर करती है। ऐसे में जब निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार द्वारा मतदाता सूची की जांच, अर्थात एसआईआर (स्पेशल समरी रिविजन) प्रक्रिया को जल्दबाज़ी और आधी-अधूरी तैयारी के साथ लागू किया गया है तो यह न केवल

चिंताजनक है बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के साथ खिलवाड़ भी प्रतीत होता है। यह कहना पूरी तरह सार्थक है कि एसआईआर प्रक्रिया जिस तरह शुरू की गई है, उसने मतदाता सूची निर्माण की पूरी प्रक्रिया का मज़ाक बना दिया है। जिस कार्य के लिए महीनों की तैयारी, सुचारु समन्वय और पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसे केवल दिखावे की तत्परता में शुरूकर दिया गया है, जिसके परिणाम गंभीर रूप से मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हर नागरिक को मताधिकार का अवसर मिले और उसे सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का दायित्व है। आयोग केवल काग़ज़ों पर नियम लिखकर मुक्तनहीं हो सकता। वास्तविक अमल ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए और उसी से आयोग की विश्वसनीयता बनती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आयोग अपनी भूमिका को गंभीरता से निभाए, राज्य सरकार सभी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए और मतदाता सूची की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से दोबारा प्रारंभ किया जाए। एसआईआर चुनावी राजनीति का अनूठा प्रयोग है। एसआईआर की योजना जून महीने में अचानक बिहार पर थोप दी गई। जिसके लिए सिर्फ एक महीने का समय दिया गया। नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए यह घोषणा आश्चर्य चकित करने वाली थी। ऐसा लगता है कि मोदी-शाह की जोड़ी इसी के साथ मिलकर इस पर लंबे समय से काम कर रही थी। एसआईआर का समय तरीका जरूरी दस्तावेज तथा लागू कराने वाली मशीनरी सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार की गई थी। इसलिए अनेकों विसंगतियों, कमियों, जटिलताओं के बावजूद चुनाव आयुक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। पूर्व चुनाव आयुक्तों से लेकर विपक्ष और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एसआईआर की कष्ट साध्य जटिल अव्यवहारिक और संविधान विरोधी अंतर्वस्तु पर सवाल उठाए। न्यायालय के बार-बार सुझाव देने के बावजूद चुनाव आयुक्त प्रस्तुत किए जाने वाले 12 दस्तावेजों में संशोधन परिवर्धन के लिए तैयार नहीं थे। अभी तक पहचान तय करने वाले मान्य डॉक्यूमेंट जैसे निर्वाचन कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड पासपोर्ट बैंक पास बुक पैनकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को एसआईआर के लिए अमान्य करार दिया गया। अंत में जब न्यायालय ने आधार कार्ड को शामिल करने का आदेश दिया तब जाकर इसे बेमन से मान्यता दी गई। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम से स्पष्ट है कि सरकार और चुनाव आयोग का एसआईआर के पीछे छिपा और सुचिंतित एजेंडा था। जो एसआईआर पूरा होने के बाद सामने आया। जब 67 लाख मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। इसके बाद हुए प्रतिवाद और विभिन्न तरह के कानूनी तथा राजनीतिक दबाव के बावजूद चुनाव आयोग विसंगतियों को दूर करने का दिखावा करता रहा। इसकी आड़ में भी उसने कई खतरनाक खेल-खेले। यही नहीं बार-बार सूची सार्वजनिक करने की मांग के बावजूद चुनाव आयोग तरह-तरह की हीला हवाली करता रहा और अंत तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। जिस कारण से वास्तविक मतदाता जब मतदान पहचान पत्रों के साथ पोलिंग बूथों पर गए तो पता चला की सूची से उनका नाम गायब है। इस संदर्भ में जांच पड़ताल करने वाली संस्थाओं का कहना है कि एसआईआर की कवायद के शिकार अल्पसंख्यकों दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को होना पड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद डरा देने वाली खबरें आ रही हैं। कथित तौर पर 100 के आसपास ऐसी विधान सभाएं हैं जहां एनडीए के प्रत्याशियों की विजय उतने ही मतों से हुई है जितने मतदाता लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के बावजूद सूची से बाहर किए गए थे। मतगणना के बाद चुनाव परिणाम में कई ऐसे संयोग देखे गए हैं जो चिंतित कर देने वाले हैं। कई मंत्रियों को एक जैसे वोट मिले हैं जिसमें शुरू के तीन डिजिट एक ही थे। जैसे 01 लाख 224, के बाद के ही अंकों में फर्क दिखाई देता है। आपको याद होगा कि हरियाणा में एक ही विधानसभा में कुछ बूथों पर एक ब्राजीलियन हेयर ड्रेसर का फोटो 22 जगह चस्पा मिला था। देश जानता है कि यह मोदी काल है। जहां सब कुछ मुमकिन है।

मनरेगा का नाम परिवर्तन सुनियोजित षडयंत्र

रघु ठाकुर

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर वीबी-जीरामजी कर दिया है। संसद में प्रतिपक्ष दलों ने इस नाम बदलने का तीखा विरोध किया और जो होना स्वाभाविक भी था। भाजपा और उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न केवल 11 वर्षों से बल्कि अगर इतिहास में जाया जाए तो 1930 के बाद से ही महात्मा गांधी को बदनाम करने, उनका अपमान करने व उनके विरुद्ध अन्य प्रकार के झूठ फैला रही है और अब इन पिछले 11 वर्षों में इसमें ज्यादा गति आई है, क्योंकि सरकार का संरक्षण है। स्व. बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने पर एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी और जिस प्रकार उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में न्यायपालिका ने रिहा करने का आदेश दिया और कार्यवाही पर रोक लगाई, परंतु आज तक देश में महात्मा गांधी के खिलाफ गंदी-गंदी टिप्पणी करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कार्रवाई या दंड से विचार नहीं मरते। मैं चाहता हूं कि समाज के लोग आगे आकर ऐसे झूठे आरोपों का प्रतिकार कर सुनियोजित झूठ फैलाने वालों को तार्किक उत्तर देकर निरुत्तर करें। बाल ठाकरे की घटना का उल्लेख तो मैंने यह बताने के लिए किया है कि देश में दो प्रकार के कानून चलते हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि संघ-भाजपा के लोग अभी तक उपरी तौर पर महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, परंतु उनके ही नीचे के

अनुयायी महात्मा गांधी के खिलाफ गंदे शब्दों के प्रयोग करते हैं। उपर से नमन और नीचे से कटन की यह संघ की शिक्षा है, इसके बहुत सारे प्रमाण मैं दे सकता हूं, परंतु अभी वह मेरा विषय नहीं है।

भाजपा के नेताओं और सत्ताधीशों के लिए शब्द कितने अर्थहीन हैं और केवल शब्दों तक सीमित हैं इसका प्रमाण उस दिन मिला जब संसद में उत्तर देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में हैं। यह कितना विचित्र था कि जिनके दिलों में महात्मा गांधी हैं उनके कागजों से महात्मा गांधी हटाए जा रहे हैं। यह दिल, दिमाग और शब्दों की कागजों से दूरी शोध का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने के पीछे संघ के तीन उद्देश्य हैं-

1. एक वे देखना और तोलना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाने पर देश में क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उनका अगला चरण नोटों पर से भी गांधी का चित्र हटाने का हो सकता है। उन्हें अंतरमन से गांधी से इतनी घृणा है कि वह गांधी की हर याद को मिटाना चाहते हैं। यह प्रयोग उन्होंने सरकार बनने के

जब केंद्र सरकार ने सफाई का अभियान चलाया था और जिन महात्मा गांधी ने 19वीं सदी के आरंभ से ही जब न संघ का जन्म भी नहीं हुआ था, न मोदी का, तब सफाई का अभियान और संदेश दुनिया को दिया था। तब भी उसमें बापू का चित्र कहीं नजर नहीं आया केवल चश्मा रखा गया, ताकि कोई आरोप लगे तो कहा जाए कि हमने बापू का चश्मा लिया है।

बाद तब भी किया था जब केंद्र सरकार ने सफाई का अभियान चलाया था और जिन महात्मा गांधी ने 19वीं सदी के आरंभ से ही जब न संघ का जन्म भी नहीं हुआ था, न मोदी का, तब सफाई का अभियान और संदेश दुनिया को दिया था। तब भी उसमें बापू का चित्र कहीं नजर नहीं आया केवल चश्मा रखा गया, ताकि कोई आरोप लगे तो कहा जाए कि हमने बापू का चश्मा लिया है।

2. दरअसल सरकार को मनरेगा के जो मूल प्रावधान थे उनमें ही परिवर्तन करना था क्योंकि मनरेगा जैसी योजना उनकी नीति के अनुकूल नहीं है। 2014 से 19 के बीच उन्होंने मनरेगा का बजट कम किया था, यहां तक कि काफी समय तक काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तक नहीं चुकी थी, फिर कई महीनों के बाद लाचार होकर लंबित राशि का एक हिस्सा जारी किया गया। हालांकि वह भी आवश्यकता के अनुसार और लंबित भुगतान के अनुसार पर्याप्त नहीं

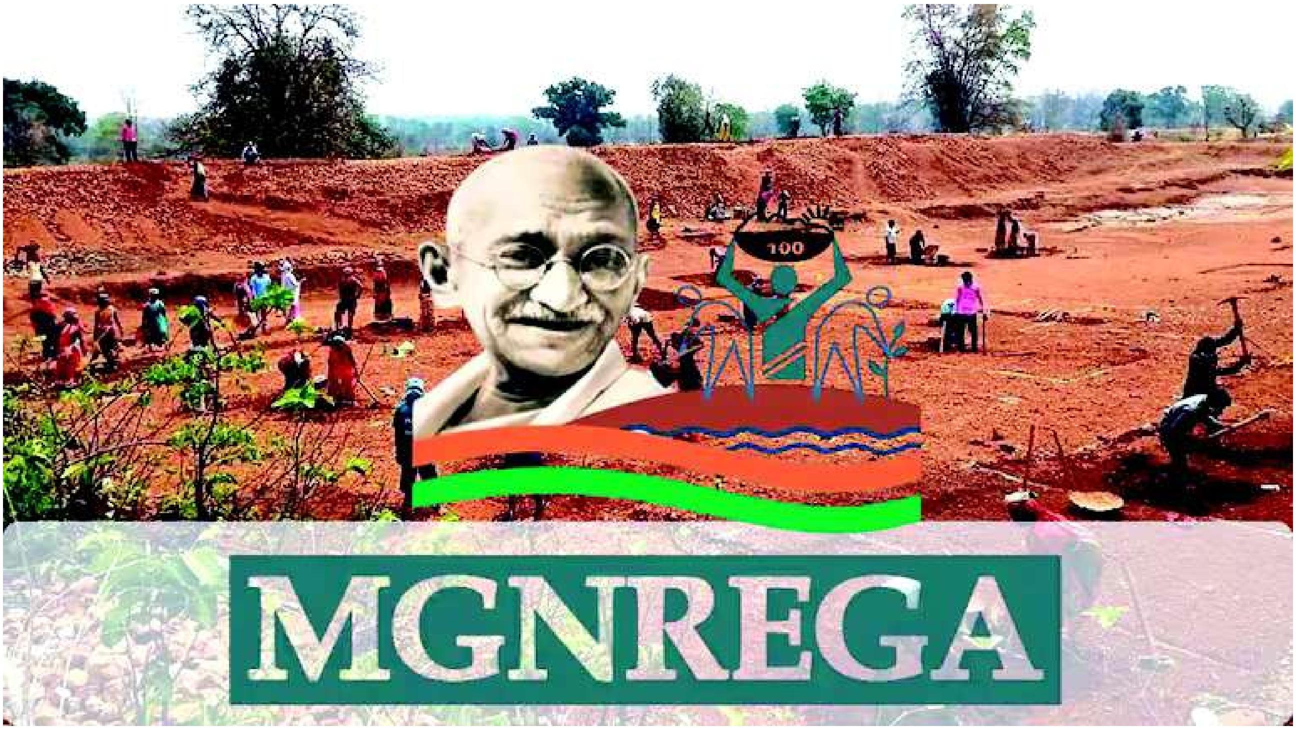

था। दरअसल मोदी सरकार इस योजना से मुक्ति चाहती है। इस योजना में जो संशोधित प्रावधान किए गए हैं वह बहुत ही चलाकी भरे और अप्रत्यक्ष रूप से कानून को अप्रभावी बनाने वाले हैं। जैसे यह कहा गया है कि सरकार ने कार्य दिवस बढ़कर वर्ष में 100 दिन से 125 दिन कर दिए हैं, परंतु इसके साथ यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि यह रोजगार उपलब्ध बजट के अनुसार ही दिए जाएंगे, यानी पहले मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन काम देने की सरकार को बाध्यता थी अब सीमा तो 125 दिन की गई है, परंतु बाध्यता नहीं है। जितना पैसा होगा उतने ही दिन काम दिया जाएगा और इसका अर्थ हुआ कि जब बजट नहीं मिलेगा तो काम नहीं मिलेगा। तथा अपने आप बाध्यता की बजाय योजना सरकार के मन पर निर्भर करेगी।

3. सरकार ने नाम बदलने और महात्मा गांधी के नाम की बजाय वीबी राम जी नाम करने के पीछे यह भी रणनीति दिखती है कि प्रतिपक्ष महात्मा गांधी के नाम को लेकर हल्ला गुल्ला करेगा, बहस करेगा, विरोध करेगा और हुआ भी तो भी उन प्रावधानों पर कोई चर्चा नहीं हो सकेगी, जो मनरेगा की मूल आत्मा और विचार को समाप्त करने वाले हैं तथा मौका पाकर भाजपा यह भी प्रचारित करेगी कि हमने तो राम का नाम जोड़ा है, प्रतिपक्ष राम को नहीं मानता इसलिए विरोध कर रहा है और मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष जाने अनजाने में भाजपा नेतृत्व के षड्यंत्र का शिकार हो गया।

पहले मनरेगा में न्यूनतम 100 दिन काम देने की सरकार को बाध्यता थी अब सीमा तो 125 दिन की गई है, परंतु बाध्यता नहीं है। जितना पैसा होगा उतने ही दिन काम दिया जाएगा और इसका अर्थ हुआ कि जब बजट नहीं मिलेगा तो काम नहीं मिलेगा।

अच्छा होता कि पहले उन प्रावधानों पर संसद में बहस होती जिनके माध्यम से मनरेगा कानून को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास भाजपा सरकार द्वारा किया गया है, देश की जनता इन तथ्यों को जान सकती। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने संसद में उत्तर देते हुए कहा कि हमने श्रमिकों को मजदूरी के लिये देने की राशि डेढ़ लाख करोड़ रुपये कर दी है, परंतु किसी ने उनसे यह नहीं पूछा कि बजट तो मार्च में आना है उसके पहले आपने वृद्धि कैसे कर दी? तथ्य तो यह है कि लगभग 30000 करोड़ रु पए औजार आदि की खरीद और श्रमिकों की मजदूरी का पिछला बकाया है, जो अभी तक नहीं दिया गया। मैं मान लेता हूं कि मनरेगा के

> **क्या वीबी रामजी के नाम हो जाने से ग्रामीण स्तर पर हो जाने वाला उपरोक्त भ्रष्टाचार रूक जाएगा? इसलिए नाम बदलने की अनुपयोगिता सरकार की मंशा और प्रतिपक्ष को बहिष्कार के लिए बाध्य कर उल्टे जाल में फांसने का षड्यंत्र स्पष्ट होता है।**

जो उद्देश्य थे उनमें कई कमियां सामने आई हैं, जैसे श्रमिकों को रोजगार के नाम पर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों गांव के ताकतवर लोगों और कर्मचारियों ने मिलकर भारी भ्रष्टाचार किया है। बगैर काम के ही जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और दबंगों के गठजोड़ ने पैसा निकाल लिया है, परंतु यह दोष तो व्यवस्था का या तंत्र का है न कि कानून का। दूसरे चूँकि ग्रामीण इलाकों में योजनाओं के लिए काम करने को मजदूर नही मिलते इसलिए अधिकारियों को मशीनों से कराना पड़ता है जो कि कानून के भावना और उद्देश्य के खिलाफ है।

अच्छा होता कि सरकार इन समस्याओं को तथ्यों सहित संसद में प्रस्तुत करती। हालांकि इन प्रक्रियाओं की त्रुटि का संबंध कानून के नाम से नहीं है। क्या वीबी रामजी के नाम हो जाने से ग्रामीण स्तर पर हो जाने वाला उपरोक्त भ्रष्टाचार रूक जाएगा? इसलिए नाम बदलने की अनुपयोगिता सरकार की मंशा और प्रतिपक्ष को बहिष्कार के लिए बाध्य कर उल्टे जाल में फांसने का षड्यंत्र स्पष्ट होता है। हालांकि प्रतिपक्ष की भी अनेकों कमियां हैं, जो न केवल राजनीतिक हैं, बल्कि महात्मा गांधी के प्रति उनकी निष्ठा के अभाव और दिखावे की प्रतीत होती हैं। राष्ट्रपिता के नाम को हटाना यह एक प्रकार से देश की सरकार पितृ हत्या की अपराधी है।

क्या यह उचित नहीं होता कि प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लेकर लेकर समूचे भारत बंद का आह्वान करता और मैं दावे के साथ कहता हूं कि समूचे देश में इसका बहुत प्रभाव पड़ता और शहर कस्बे तो दूर गांव-गांव तक बंद रहते। परंतु प्रतिपक्ष ने भी इतनी बड़ी घटना को बहुत हल्के में लेने का अपराध किया है। कांग्रेस पार्टी की एक नेता के संसद समाप्ति के बाद स्पीकर के कक्ष में प्रधानमंत्री के साथ हंसते मुस्कुराते चाय पीते फोटो सारे देश ने देखे हैं। क्या इस फोटो में कहीं महात्मा गांधी के नाम हटाए जाने की पीड़ा नजर आती है? क्या प्रतिपक्ष को उस दिन चाय पार्टी का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था? एक प्रतिपक्षी नेता उस दिन बीएमडब्ल्यू कंपनी के मुख्यालय में कार देख रहे थे, क्या यह राष्ट्रपिता के अपमान के प्रति गंभीरता का व्यवहार है? मैं खेद के साथ यह लिखने को बाध्य हूं कि संघ-भाजपा महात्मा गांधी के नाम को हटाने की अपराधी है। और देश के मुख्य प्रतिपक्ष दल राष्ट्रपिता के अपमान को शाब्दिक व हल्केपन से लेने के अपराधी हैं।

नक्सली आतंक से पूर्ण मुक्ति की ओर लाल गलियारा

प्रमोद भार्गव

नक्सली अभियान के विरूद्ध ओडिशा में एक नई सफलता मिली है। कंधमाल जिले में चली एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने चार माओवादियों को मार गिराया। इनमें 1.20 करोड़ रूपए के इनामी ओडिशा राज्य समिति के प्रभारी 69 वर्षीय गणेश उइके और दो महिलाएं भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि समूचे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिलाएं भी सशक्त भूमिका निभा रहीं हैं। गणेश के मारे जाने के बाद अब ओडिशा नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। इसके पहले बसव राजू और हिड़मा समेत नक्सली केंद्रीय समिति के एक दर्जन से अधिक शीर्ष माओवादी मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। इन नेतृत्व कर्ताओं की मृत्यु के बाद संगठनों का वर्चस्व खात्मे की ओर है। अतएव हम कह सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवाद के समूल नाश का जो वचन दिया है, वह पूरा होगा।

माओवादी अर्से से देश में एक ऐसी जहरीली विचारधारा रही है, जिसे नगरीय बौद्धिकों का समर्थन मिलता रहा है। ये बौद्धिक नक्सली संगठनों को आदिवासी समाज का हितचिंतक मानते रहे हैं, जबकि जो आदिवासी नक्सलियों के विरोध में रहे, उन्हें इनकी हिंसक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है। बावजूद इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश के वामपंथी दलों को कभी भी सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा सफाये का अभियान पसंद नहीं आया। इसिलए जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था, तब उसका

पुरजोर विरोध कांग्रेस समेत सभी सहयोगियों दलों ने किया, फलतः ऑपरेशन तो किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ही दम तोड़ता चला गया, परंतु नक्सली संगठन के स्तर पर मजबूत और सुरक्षा बलों के लिए घातक होते चले गए।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार ने सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी है, जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात कर चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2024 में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। शाह का कहना है कि 2004-2014 की तुलना में 2014 से 2024 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004 से 2014 में 6,568 थीं, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई हैं और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया है, उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्तिअभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र वे आदिवासी बहुल इलाके हैं, जिनमें ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना कठिन होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने

मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों में छिपने के स्थलों और जलस्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है,

वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए।

शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने

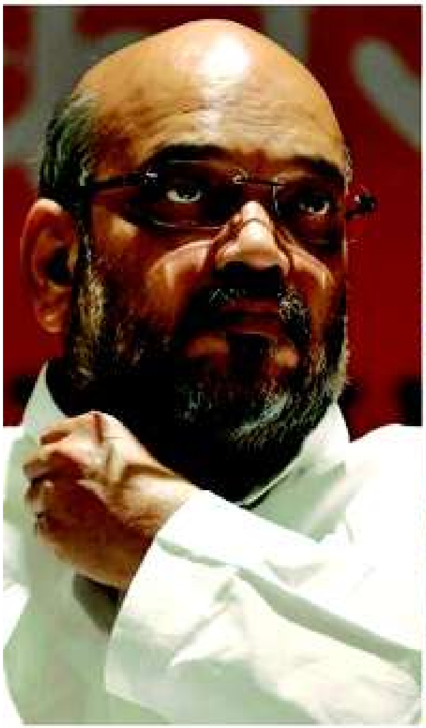

इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे पूरी तरह अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए थे, उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरूद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

दरअसल, देश में अब तक तथाकथित

देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की थी और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगने जा रहा है।

व्यवस्था बदलने के बहाने 1967 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलवाड़ी ग्राम से यह खूनी आंदोलन शुरू हुआ था। तब इसे नए विचार और राजनीति का वाहक कुछ साम्यवादी नेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारवादियों ने माना था। लेकिन अंततः माओवादी नक्सलवाद में बदला यह तथाकथित आंदोलन खून से इबारत लिखने का ही पर्याय बना हुआ है। जबकि इसके मूल लक्ष्यों में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के सवाल पर कमजोर व निर्बलों का उत्थान, आंध्र प्रदेश और अविभाजित मध्य-प्रदेश के आदिवासियों का कल्याण तथा राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में आदिवासियों के प्रवेश शामिल थे। किंतु विषमता और शोषण से जुड़ी भूमण्डलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों को जबरन अमल में लाने की प्रक्रिया ने देश में एक बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया था, जो पशुपति (नेपाल) से तिरूपति (आंध्रप्रदेश) तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र में माओवादी वाम चरमपंथ पसर गया था। इसने नेपाल, झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के एक ऐसे बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया था जो बेशकीमती जंगलों और खनिजों से भरे हैं। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में लौह अयस्क के उत्खनन से हुई यह शुरु आत ओड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ियों में मौजूद बॉक्साइट के खनन तक पहुंच गई थी। यहां आदिवासियों की जमीनें वेदांता समूह ने अवैध हथकंडे अपनाकर जिस तरीके से छीनी थीं, उसे गैरकानूनी खुद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया था।

> **पाकिस्तान और चीन माओवाद को बढ़ावा देने की दृष्टि से हथियार पंहुचाने की पूरी एक श्रृंखला बनाए हुए हैं। चीन ने नेपाल को माओवाद का गढ़ ऐसे ही सुनियोजित षड्यन्त्र रचकर वहां के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ध्वस्त किया।**

हालांकि खबरें तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान और चीन माओवाद को बढ़ावा देने की दृष्टि से हथियार पंहुचाने की पूरी एक श्रृंखला बनाए हुए हैं। चीन ने नेपाल को माओवाद का गढ़ ऐसे ही सुनियोजित षड्यन्त्र रचकर वहां के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ध्वस्त किया। नेपाल के पशुपति से तिरु पति तक इसी किस्म के माओवाद को आगे बढ़ाने की मानसिकता को तथाकथित शहरी बौद्धिकों ने प्रोत्साहित किया। किंतु केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना को चुनौती बने इस चरमपंथ के दिन गिनती के रह गए हैं।

अनदेखी की परतों में पलता प्रदूषण

डॉ. विजय गर्ग

उत्तर भारत एक बार फि र जहरीली हवा की गिरफ्त में है। लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल और धुएं की परत जन स्वास्थ्य के लिए संकट बन चुकी है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कब गंभीर श्रेणी में पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि, इस गंभीर होती समस्या से पार पाने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रुप के प्रावधानों को लागू करने समेत कई उपाय आजमाए, मगर वे कारगर साबित नहीं हो सके। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीनपीस की एक रपट ट के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली दुनिया भर में तमाम देशों की राजधानियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। सवाल है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस संकट से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर को कोई स्थायी समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? कागज पर भले ही सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा। इससे पता चलता है कि हमारे यहां व्यवस्था प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कितनी कारगर है। इस मामले में अगर हमारे पड़ोसी देश चीन की बात की जाए, तो वह भी कभी खतरनाक प्रदूषण से जूझ रहा था, मगर एक दशक भीतर ही वह अपनी वायु गुणवत्ता में में सुधार लाने में कामयाब रहा। सबसे अहम सवाल यह है कि तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भारत दुनिया के दूसरे देशों से सबक क्यों नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भारत ने कई उपाय किए हैं, लेकिन धीमी गति और जमीनी स्तर पर कमजोर प्रवर्तन की वजह से उनका प्रभाव सीमित ही रहा। वहीं, चीन ने प्रदूषण राष्ट्रीय आपातकाल मानकर तेज गति से काम किया। चीन की इस सफलता में निगरानी ने एक बड़ी भूमिका निभाई। वहां एक व्यापक वायु निगरानी तंत्र बनाया गया, जो शहर दर शहर और यहां तक कि कारखानों से होने वाले प्रदूषण पर नियमित नजर रखता था। इससे उन्हें उत्सर्जन के स्रोतों का एक सटीक डेटा मिला और उसी के मुताबिक कार्रवाई की गई। इसी के साथ चीन ने अपनी परिवहन प्रणाली में भी बदलाव किया। बेजिंग जैसे शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया गया, चौड़े पैदल यात्री क्षेत्र बनाए गए, वाहन पर निर्भरता कम की गई और साथ ही सार्वजनिक परिवहन में निवेश किया गया। इसी के समांतर प्रदूषणकारी उद्योगों के प्रति भी चीन ने सख्ती दिखाई। ऐसे उद्योगों को स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय उर्जा की तरफ मोड़ कर भी कम किया।

निजी कोयले पर पर निर्भरता को भी

गैस आधारित उपकरणों ने अनगिनत कोयला इकाइयों की जगह ली, जिस वजह से सल्फर उत्सर्जन में काफी कमी आई।

भारत की बात की जाए तो यहां अभी भी कोयले पर निर्भरता काफी ज्यादा है। जबकि चीन का उदाहरण दिखाता है कि मजबूत प्रवर्तन और एकीकृत सरकारी दृष्टिकोण से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदूषण से आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होता है, लिहाजा तत्काल कुछ सार्थक और ठोस उपाय करने की जरूरत है। देखा जाए तो आज के समय दुनिया में

सबसे ज्यादा बीमारियां पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ही हो रही हैं। मलेरिया, एड्स और तपेदिक से हर साल जितने लोगों की मौत होती है, उससे कहीं ज्यादा लोग प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के कारण दम तोड़ देते हैं। बहरहाल, सवाल यही उठता है कि वायु प्रदूषण से हर साल होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दशकों से यह बात सरकार और समाज सबको मालूम है, इसके बावजूद सामूहिक प्रयासों को गति नहीं मिल पा रही है। ऐसा लगता है कि लोग अपने त्रासदीपूर्ण भविष्य को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं। जबकि देश में वायु प्रदूषण की समस्या इतनी जटिल होती जा रही है कि भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है।

दरअसल, आज मनुष्य भोगवादी जीवनशैली का इतना आदी और स्वार्थी हो गया है कि अपने जीवन के मूल आधार समस्त वायु को दूषित करने पर आमादा है। इस मामले में नैतिकता, धर्म, कर्तव्य सब पीछे छूट रहा है। भौतिकतावादी जीवनशैली और विकास की अंधी दौड़ में आज मनुष्य ये भी भूल गया है कि वायु प्रदूषण धीरे-धीरे कितना खतरनाक रूप धारण कर रहा है। बढ़ते वाहनों और कारखानों से निकलता धुआं, वृक्षों की कटाई और मनुष्य द्वारा फैलाई जा रही गंदगी हवा-पानी को इस कदर प्रदूषित कर रही हैं कि इससे बीमारियां भी दोगुनी गति से फैल रही है। मानवीय सोच और विचारधारा में इतना ज्यादा बदलाव आ गया है कि भविष्य की जैसे कोई चिंता ही नहीं है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अपने कृत्यों के कारण आज मनुष्य प्रकृति को रिक्त करता चला जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण असंतुलन से भूमंडलीय ताप, अम्लीय वर्षा, हिमनदों पिघलना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, मैदानी नदियों का सूखना, उपजाउ भूमि का घटना और रेगिस्तानों का दायरा बढ़ना जैसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं। ये सारा किया कराया मनुष्य है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके घातक प्रभाव को झेलने के बावजूद हम अब भी नहीं चेत रहे हैं।

साल-दर-साल भारत में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, या फिर हमारा समाज, कोई भी प्रदूषण से लड़ने के लिए गंभीर नजर नहीं आता है। अब समय आ गया है कि प्रदूषण से पार पाने के लिए सरकारी स्तर पर दीर्घकालीन नीतियां बनाई जाएं और उन्हें धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। साथ ही लोगों को अपने स्तर पर वे सभी जतन करने की जरूरत है, जो हवा को जहरीली होने से रोकें। अब तक जो भी प्रयास हुए हैं, वे वायु प्रदूषण से निपटने में कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में भारत की जिम्मेदारी बड़ी और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। हमें विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में किए जा रहे उपायों से सीख लेने की जरूरत है।

वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है और इसे आपसी सहमति एवं ईमानदार प्रयास के बिना हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तात्कालिक कार्रवाई के बजाय निरंतर प्रयासों की जरूरत है स्वच्छ उर्जा स्रोतों को अपनाना, वाहनों की संख्या को नियंत्रित करना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना जैसे उपाय दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए किसानों को बेहतर तकनीक और प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को अपनाएं। इसके साथ ही निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण उपायों का सख्ती से पालन और औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है। एक व्यवस्थित निगरानी तंत्र व से पूरे वर्ष वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन करना जरूरी है, ताकि प्रदूषण के स्तर को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। वास्तव में यह वक्त सिर्फ सोचने और चिंता करने का नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर कुछ ठोस उपाय करने का है।

साय सरकार के दो वर्ष....

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बना आदर्श मॉडल

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यह दो वर्ष सुशासन, संवेदनशीलता और जनकल्याण को केंद्र में रखने की एक नई कार्यशैली के रूप में देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य आमजन का जीवन आसान बनाना और विकास को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाना होगा। साय सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि सत्ता संभालते ही उसने नीतियों और निर्णयों में गति दिखाई। सरकार ने यह संदेश दिया कि प्रशासनिक निर्णय फाइलों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जमीन पर उतरेंगे। किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग के लिए योजनाओं को पुनर्संरचित कर उन्हें प्रभावी रूप से लागू किया गया। सरकार का फोकस केवल नई योजनाओं पर नहीं, बल्कि पुरानी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पर भी रहा। भ्रष्टाचार पर सख्त रूख, प्रशासनिक जवाबदेही और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया ने शासन को अधिक भरोसेमंद बनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के दो वर्ष छत्तीसगढ़ की राजनीति में स्थिरता, संवेदनशीलता और सेवा भाव के रूप में दर्ज हो रहे हैं। जनकल्याण को केंद्र में रखकर किए गए फैसलों ने सरकार को जनता के करीब लाया है। युवा, महिला और कमजोर वर्गों को मिला संबल इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। साय सरकार का यह दो वर्षीय सफर इस विश्वास

के साथ आगे बढ़ रहा है कि सुशासन और समावेशी विकास ही समृद्ध छत्तीसगढ़ की नींव है।

युवाओं को मिला अवसर और आत्मविश्वास : विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में युवा वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई। रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार को लेकर सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार और समय पर परिणामों की घोषणा ने युवाओं में भरोसा पैदा किया। युवाओं के लिए स्टार्टअप, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयासों ने यह संकेत दिया कि सरकार केवल शहरी युवाओं तक सीमित नहीं है।

महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशाः साय सरकार ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे नीतिगत रू प दिया। स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक संबल, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया गया। ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से जोड़ने, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता का भाव मजबूत हुआ और वे परिवार व समाज में निर्णायक भूमिका निभाने लगीं।

विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में युवा वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई। रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार को लेकर सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार और समय पर परिणामों की घोषणा ने युवाओं में भरोसा पैदा किया। युवाओं के लिए स्टार्टअप, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया।

कमजोर और वंचित वर्गों के लिए संवेदनशील शासनः छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना में आदिवासी, दलित और कमजोर वर्गों की बड़ी भूमिका है। साय सरकार ने इन वर्गों के कल्याण को अपनी

प्राथमिकता में रखा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाओं को गति दी गई। सरकार का प्रयास रहा कि योजनाएं केवल आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचें। पेंशन, आवास, राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण में पारदर्शिता ने सरकार की नीयत को स्पष्ट किया।

किसानों के लिए राहत और सम्मानः कृषि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साय सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि से जुड़े ढांचे को मजबूत करने पर काम किया। समर्थन मूल्य, बीज-उर्वरक की उपलब्धता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार ने किसानों को राहत दी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसान केवल उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि मूल्य संवर्धन और बाजार से सीधे जुड़ सकें।

सुशासन और प्रशासनिक सुधारः विष्णुदेव साय सरकार की कार्यशैली में सादगी और संवाद प्रमुख रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जिलों के दौरे कर योजनाओं की समीक्षा करते रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाना, समय पर फाइल निपटान और जनसुनवाई जैसे कदमों ने शासन को अधिक संवेदनशील बनाया। डिजिटल तकनीक के उपयोग से सेवाओं को सरल किया गया, जिससे आम नागरिक को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े।

विकास और विश्वास की राजनीतिः दो वर्षों में साय सरकार ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि विकास केवल इमारतों या घोषणाओं से नहीं, बल्कि विश्वास से होता है। सरकार और जनता के बीच संवाद को प्राथमिकता दी गई। विपक्षी आलोचनाओं के बीच भी सरकार ने अपने एजेंडे पर काम जारी रखा। दो वर्ष पूरे होने के साथ ही साय सरकार के सामने चुनौतियाँ भी हैं। रोजगार के अवसरों का विस्तार, औद्योगिक निवेश, शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे का निरंतर विकास। लेकिन जिस तरह सरकार ने पहले दो वर्षों में संतुलित और जनोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया है, उससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में यह यात्रा और मजबूत होगी।

कृषि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। साय सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि से जुड़े ढांचे को मजबूत करने पर काम किया। समर्थन मूल्य, बीज-उर्वरक की उपलब्धता और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार ने किसानों को राहत दी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसान केवल उत्पादन तक सीमित न रहें, बल्कि मूल्य संवर्धन और बाजार से सीधे जुड़ सकें।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दो वर्षों में विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महिला सशक्तिकरण को विकास की धुरी बनाया है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और निर्णय क्षमता को नीतियों के केंद्र में रखकर राज्य ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की एक नई दिशा तय की है। इन पहलों के चलते छत्तीसगढ़ आज राष्ट्रीय पटल पर महिला विकास के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का स्पष्ट मानना है कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित नहीं होंगी, तब तक समग्र विकास संभव नहीं है। उनका कहना है कि बीते दो वर्षों में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर जो योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं, वे एक समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव हैं। सरकार आगे भी महिलाओं के स्वास्थ्य, आजीविका, सुरक्षा और भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए नीतियां लागू करती रहेगी।

महतारी वंदन योजना से मिली आर्थिक स्वतंत्रताः महिला सशक्तिकरण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पहल महतारी वंदन योजना रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को वर्चुअली शुभारंभ की गई। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को हर माह 1,000 रूपये की प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब तक 22 किश्तों में कुल 14,306 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, पोषण, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को सुदृढ़ करना है। महिला कल्याण के लिए 5,500 करोड़ रूपये का प्रावधान यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की विकास यात्रा में महिलाएं केंद्र बिंदु पर हैं।

संपत्ति में अधिकार और सामाजिक सशक्तिकरण

महिलाओं को आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी सशक्तबनाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन पर 1 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का निर्णय

उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है और परिवार व समाज में उनकी भूमिका को नई पहचान मिली है। इसी कड़ी में राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन केंद्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण, परामर्श, कौशल विकास और विभिन्न सहायक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक सशक्तमंच तैयार कर रही है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान

स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने मानदेय और प्रोत्साहन राशि का ऑनलाइन भुगतान शुरू किया है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि समय पर भुगतान सुनिश्चित होने से इन महिलाओं का मनोबल भी बढ़ा है। यह कदम सुशासन और तकनीक के प्रभावी उपयोग का उदाहरण माना जा रहा है।

स्व-सहायता समूहों को नए अवसर

ग्रामीण और वंचित वर्ग की महिलाओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए स्व-सहायता समूहों को सशक्त किया गया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर जिलों में रेडी-टू-ईट पोषण आहार का कार्य महिला समूहों को सौंपा गया है। इससे महिलाओं को स्थायी रोजगार के साथ आय का सुनिश्चित स्रोत मिला है। इसके अलावा 42,878 महिला स्व-सहायता समूहों को 12,946.65 लाख रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। इससे महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दीदी ई-रिक्शा योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना और मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना ने निर्माण श्रमिक परिवारों की महिलाओं और बेटियों के लिए आजीविका के नए रास्ते खोले हैं।

मातृत्व सुरक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस

गर्भवती श्रमिक महिलाओं के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। कन्याओं के विवाह में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को और अधिक सशक्त बनाया गया

है। अब 50,000 रूपये की सहायता राशि में से 35,000 रूपये सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 8,000 कन्याओं के विवाह के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किशोरियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शुचिता योजना के तहत 2,000 स्कूलों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं और 3 लाख से अधिक किशोरियों को स्वच्छता सामग्री वितरित की गई है। हाई स्कूल छात्राओं को साइकिल वितरण के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान कर शिक्षा में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं महिला उद्यमिता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। इन पहलों के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। महिलाएं कृषि, तकनीक और सेवा क्षेत्रों में नए प्रयोग कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने कई अभिनव पहल की हैं। नवाबिहान योजना घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी, चिकित्सा और मनोसामाजिक सहायता प्रदान कर रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है, जिसने सखी वन-स्टॉप सेंटर का डिजिटल वर्जन तैयार किया और इसके लिए मानक प्रक्रिया लागू की। 181 महिला हेल्पलाइन और डायल 112 के एकीकृत संचालन से संकट की स्थिति में त्वरित सहायता सुनिश्चित हो रही है। वहीं सुखद सहारा योजना के तहत 2 लाख 18 हजार से अधिक विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल

नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यूनिटी मॉल महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जशपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित जशप्योर ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयास भी राज्य में महिला उद्यमिता को नई उड़ान दे रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग को वर्ष 2025-26 में 8,245 करोड़ रुपये का बजट आवंटित कर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला कल्याण और सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण तैयार करना सरकार का संकल्प है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो परिवर्तनकारी कार्य हुए हैं, वे यह सिद्ध करते हैं कि महिलाओं को केंद्र में रखकर किया गया विकास ही सुशासन और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। छत्तीसगढ़ आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नई दिशा, नई उम्मीद और नए परिवर्तन का प्रतीक बनकर देश के सामने एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।

धामी की कुशल रणनीति से शीतकालीन तीर्थटन, पर्यटन एवं राजस्व की उत्तम दिशा दे रही है देवभूमि उत्तराखण्ड

प्रमोद कुमार

06 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिर्षल-मुखवा क्षेत्र मे स्थित गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास पर दर्शन किये और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री के इस धार्मिक यात्रा से शीतकालीन तीर्थयात्रा की महत्वता बढी और लोगों में संदेश पहुंचा कि उत्तराखण्ड मे पयर्टन सिर्फ गर्मियों के लिए ही नही सुहावना मौसम है बल्कि पहाडी के इस उत्तराखण्ड में सालों भर अथक व सामूहिक गतिविधियाँ भी बनाए रखने की उत्तराखण्ड एक विशिष्ट राज्य हैं। मुखवा अपने आप में शांत और मनमोहक एवं धार्मिक हिमालय सौंदर्य वाला स्थल है। गंगोत्री के कपाट बंद होने से देवियों की मूर्ति विधि-विधान से मुखवा लाई जाती हैं। भक्तगण इस स्थान का दर्शन कर आसानी से पूजा-पाठ का आनंद पर्वतीय राज्य में शीतकालीन ऋतु में भी आंनद उठाते हैं। शीतकालीन तीर्थयात्री इस देवभूमि उत्तराखण्ड में उत्तरकाशी गंगा मंदिर, आंकुश्वर मंदिर, यमुना मंदिर, पंडेश्वर तथा अन्य मंदिरों का दर्शन कर पर्यटक देवभूमि मे आनंद मे लुप्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस देवभूमि उत्तराखण्ड की प्रशंसा काफी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार उत्तराखण्ड एक आध्यामिक व प्राकृतिक शक्तिहै, जो विशिष्ट राज्यों में से एक है। देवभूमि की यह शक्ति विरासत और पवित्रता की एक ऐसी अनूठी पहचान है। उत्तराखण्ड दुनिया के प्रमुख आध्यामिक स्थान बनाने में अग्रसर है। मोदी के अनुसार

उत्तराखण्ड आध्यामिक केन्द्रों के साथ-साथ यह राज्य विवाह स्थल का भी एक दिव्य उदाहरण है। उत्तराखण्ड में आदि कैलाश सबसे पूज्यनीय आध्यामिक स्थलों में से एक है। प्रधांनमत्री की इस आध्यामिक यात्रा के बाद तीर्थ पर्यटक की संख्या दिनों-दिन काफी बढ रही है। उदाहरणार्थ, तीन वर्ष पहले जहां इस धार्मिक स्थल पर करीब 2 हजार तीर्थयात्री आये थे, लेकिन इसकी संख्या अब 30 हजार से ज्यादा हो गई है। यह बदलाव उत्तराखण्ड की धामी सरकार के अत्यन्त प्रयास से बेहतर कनेटीविटी और आनंद अवसंरचना के परिर्वतन से भी हुआ है। यह राज्य क्षेत्र ऐतिहासिक खेल आयोजन का अदभूत केन्द्र भी बन गया है। जिसके चलते उच्च हिमालीय उंचाईयों पर आयोजित अल्ट्रा मैराथन और आदि कैलाश परिक्रमा रन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रधानंमत्री इस पहल की प्रसंशा करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन ना

प्रधांनमत्री की इस आध्यामिक यात्रा के बाद तीर्थ पर्यटक की संख्या दिनों-दिन काफी बढ रही है। उदाहरणार्थ, तीन वर्ष पहले जहां इस धार्मिक स्थल पर करीब 2 हजार तीर्थयात्री आये थे, लेकिन इसकी संख्या अब 30 हजार से ज्यादा हो गई है।

केवल साहसिक पर्यटन को बढावा देना है बल्कि देश-विदेश के एथलीटो को भी हिमालय की आध्यामिक और पर्यावरणीय समृद्धि से परिचित कराता हैं। इस प्रयोजन से राज्य मे इको-टूरिजम एवं एडवेन्चर टूरिजम का भी अपार सभांवनाए बनती जा रही हैं।

साथ-साथ आध्यामिक टूरिज्म एथलेटिक के बढावे के लिए उत्तराखण्ड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि आर्थिक प्रबंधन में भी उंची उडान भर रहा है। धामी सरकार ने खनन, राजस्व, कर संग्रह (टैक्स संग्रह) और प्रशासनिक पारदर्शिता में प्रसशीय कार्य हो रहे हैं। धामी सरकार ने खनन पट्टों के आवंटन में भी काफी पारदर्शिता दिखाई है जिसके परिणामस्वरु प डिजीटल ई-इनामी प्रणाली का लागू होना इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बडी सफलता है। इस व्यवस्था से आवंटन में किसी तरह की अनमंयता पर रोक लगाने पर काफी सफलतापूर्ण प्रयास साबित हुआ है। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री का पूर्ण इरादा है कि हमारे पूर्वजों ने इस देवभूमि को हजारों वर्षो से सभांल कर रखा है। हम आगे भी इस पर्वतीय देवभूमि को उंचाईयों के तरक्की के बुलन्द शिखर पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री भी केदारनाथ की पवित्र धरती से घोषणा की किए थे कि इस सदी का तीसरा दशक हमारा देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य होगा। इसलिए हम लोग मिलकर अत्यन्त प्रयास के साथ इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।

Dasain festival: A dance performance to preserve a collective memory of grief is on the wane

Devendra Kumar Nayan

The soil, forests and festivals of Jharkhand are not merely part of Adivasi life; they are deeply entwined with the Adivasi identity. Dasain festival, celebrated with great joy and devotion by the tribal communities during Dussehra, is no different.

For the Santhal community, spread across Jharkhand and other parts of India, this festival is as significant as major celebrations like Sohrai or Bandna. However, Dasain is not merely a festival of joy; it also involves remembering, grieving and an enactment of a collective search for sisters and brothers who they lost a long time ago and have been preserved in their memories for generations. The Dasain dance (also referred to as Dasai dance) is popular across villages of Jharkhand, though its tradition is increasingly under threat.

The very name "Dasain"

reflects its seasonal and historical significance. In the Santhali language, “Dak” means water, and “Say” means the end. Thus, Dasain literally signifies the festival marking the end of the rainy season. When the paddy fields turn lush and the rains bid farewell, the Santhal community observes this festival.

Stories about the origin of the Dasain dance vary from place to place. In some areas, it is linked to the tale of Mahishasura's murder, while in others, it is connected to the search for the community's spiritual guru. Certain narratives mention Hudur Durga, describing how the Santhals' spiritual leader Hudur was hidden in a secret place with the help of a woman and young men dressed up as women danced their way into enemy territories in search of their guru.

Though multiple versions exist, the most popular narrative is the search for four figures: Ayan, Kajol, Divi and Durga. This story has occupied centre stage at the Dasain festival and is kept alive every year through songs and performances across villages.

The search for Ayan, Kajol, Divi and Durga

According to folklore, in ancient times, the tribal society faced numerous crises and wars. The Santhal community resided in the Chaygarh and Champagarh regions. During that period, Aryans entered India via the 'Singh Dwar' route and fought several battles with the Santhals and other tribal groups, but were defeated

every time. Eventually, to weaken the Santhals' morale and discover the secret to their strength and victory, the Aryans devised a plan to abduct Santhal women.

They abducted beautiful Santhal girls named Ayan and Kajol, who symbolized the dignity and feminine strength of the tribal society. Upon hearing this, two brave young men, Divi and Durga, set out together in pursuit of the Aryans to rescue Ayan and Kajol. However, during the search, Divi and Durga themselves went missing. Due to continuous rains, treacherous paths, and the hardships of conflict, the rest of the community could not directly participate in this rescue mission.

This is why, even today, the story is enacted every year through songs and dances across villages. The memory of the courage, struggle and heroic quest is kept alive

during the Dasain festival, with people performing the search for the four characters Ayan, Kajol, Divi, and Durga.

Unique tradition

The most striking feature of the Dasain dance is the use of elaborate costumes and a variety of traditional musical instruments. Young men make saris into dhotis, tie a sari as a turban on their heads, and

In essence, they are reliving a traumatic collective memory. The songs convey anguish:

Haaye re Haaye re Divi re, Durga, do kin Odok ena re,
Divi re chela do kin baaher ena re,
Haaye re Haaye re Belbuta re kin Odok ena re,
Aawra toda re kin baaher ena re,
Haaye re Haaye re desh daadan lagi do kin Odok ena re

adorn it with peacock feathers. As they move in formation, dancing to the rhythms of various instruments, the spectacle is mesmerizing.

Bhuvang, an instrument made from a long hollow gourd, takes centre stage, in accompaniment with other traditional instruments such as the nagara, mandar, ghanta, kartal, flute, and kendri. Together, these instruments

create not only a festive atmosphere but also evoke the underlying emotions of grief and the historic search for the lost.

The Bhuvang's unique form resembles a quiver. According to folklore, young men concealed arrows in the Bhuvang and ventured into enemy territory, dancing along the way.

During the dance, these young performers, disguised as women, enter each courtyard and ask the woman of the house: “Are Ayan and Kajol in this house? Are Divi and Durga hiding here?” Each woman of the house offers food or gifts to the performers, signaling that they too are part of this search. Thus every household, including women and elders, participate in the search.

This act is not merely about offering alms; it represents a cultural pledge.

The phrase 'Haaye re Haaye re' is used to express shock and deep concern. The lyrics narrate how Divi and Durga left the village along with their followers. The subsequent lines explain why they left and how they set out in search of Ayan and Kajol.

The teacher-disciple tradition

The Dasain festival also provides continuity to the teacher-disciple tradition. During the festival, which begins on the sixth day of the month of Ashwin and continues until Dussehra, young men from the villages learn from their teachers to identify medicinal herbs found in forests and hills, and remedies for various ailments.

Today, the Dasain festival and performance of the music and the dance are on the brink of extinction. Urbanization, Hinduization, migration and changing lifestyles have weakened this tradition. Villages no longer get to see the same enthusiastic troupes as in the past. Many young people perceive it merely as entertainment, unaware of the profound historical and cultural significance it carries.

Can we preserve such traditions? Dasain is not merely a festival of the Santhals; it is a collective memory of the entire indigenous society. It encompasses history, culture and the philosophy of life.The festival teaches us that history is not confined to books alone; it lives on in songs and dances. The search for Ayan, Kajol, Divi and Durga continues even today. This search is not just for the four characters but for roots and identity of the indigenous community.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

विश्वास - निर्माण - गौरव

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

डबल इंजन सरकार

दोगुनी हुई

विकास की रफ्तार

आकांक्षाओं के नए शिखर पर छत्तीसगढ़...

प्रधानमंत्री आवास योजना
- 26 लाख से अधिक पीएम आवास स्वीकृत
- 15,000 पीएम आवास आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए

कृषक उन्नति योजना
- ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, देश में धान का सर्वाधिक मूल्य
- 26 लाख किसानों को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' का लाभ

श्रीरामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना
- 39,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ के निःशुल्क दर्शन

जनजातीय कल्याण
- पीएम जनमन योजना - लगभग 60,000 PVTG परिवार लाभान्वित
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 6,691 ग्राम लाभान्वित

माओवादी आतंक से मुक्ति की ओर
- 500 से अधिक नक्सली न्यूट्रलाइज
- 2400 से अधिक पुनर्वास, 1900 से अधिक नक्सली गिरफ्तार
- 83 नए सुरक्षा कैंप स्थापित

सड़कों का विकास
- ₹40,000 करोड़ से अधिक की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण
- सुशासन तिहार से समस्याओं का त्वरित निदान
- सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन
- 400 से अधिक नीतिगत सुधार

महतारी गौरव वर्ष
- 70 लाख महिलाएं महतारी वंदन योजना से बनीं आर्थिक रूप से सशक्त
- 38 लाख महिलाओं को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' का लाभ

तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि
- दर ₹4000 से बढ़कर ₹5500 प्रति मानक बोरा
- 52 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक लाभान्वित

निवेश का नया हब छत्तीसगढ़
- ₹7.83 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव नवीन औद्योगिक विकास नीति से
- नवा रायपुर में एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले रहा आकार

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
- 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता

युवा कल्याण
- युवा स्वरोजगार हेतु 50% सब्सिडी पर ब्याजमुक्त ऋण की सुविधा
- लगभग 32,000 शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ, अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट

रेल नेटवर्क का विस्तार
- ₹47,447 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाएं ले रहीं आकार

विश्वस्तरीय शहर नवा रायपुर
- रेल सेवा की शुरुआत, राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) का होगा गठन
- चित्रोत्पला फिल्म सिटी और तीरंदाजी अकादमी की होगी स्थापना
- मेडिसिटी, फार्मास्युटिकल हब, रेडीमेड गारमेंट पार्क ले रहे हैं आकार

2 साल निरंतर सेवा निरंतर विकास

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

RO. No. 13628/1

मोदी संग बढ़त हे छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

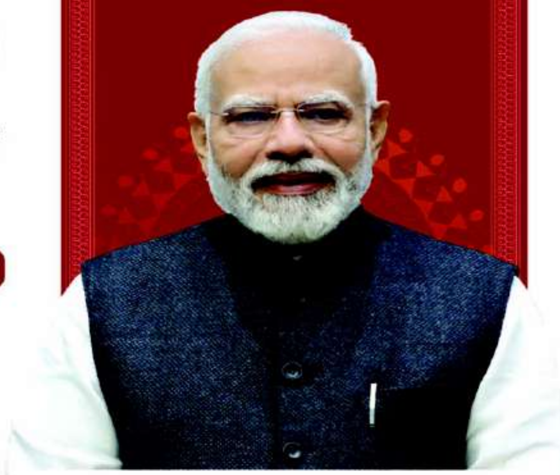

पीएम आवास योजना
26 लाख से अधिक परिवारों को पक्की छत देने वाले

महतारी वंदन योजना
70 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाले

पीएम किसान सम्मान निधि
26 लाख किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाले

तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹5500 मानक बोरा
13 लाख संग्राहक परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले

उद्यम क्रांति योजना
युवाओं को स्वरोज़गार के लिये **50% सब्सिडी** पर ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाले

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना
5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने वाले

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
37 लाख महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने वाले

श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना
37 हजार से अधिक राम भक्तों को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा कराने वाले

छत्तीसगढ़ में शांति, विश्वास और विकास का मार्ग हो रहा प्रशस्त

श्री विष्णु देव साय
मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

RO. No. 13628/1

Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in